केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय
नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैंशन योजनाओं

की

वार्षिक रिपोर्ट

1972-73

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	क्षेत्र विस्तार	1
3	निरीक्षण	4
4	छूट प्राप्त स्थापनाएं और छूट की समाप्ति	5
5	अंशदान	5
6	भविष्य-निधि की बकाया राशियों की वसूली	7
7	मुकदमे	8
8	दण्ड स्वरूप हर्जाने	9
9	निवेश	14
10	ब्याज	18
11	खाता-कार्डों में वर्ष में एक बार इन्दराज करने की योजना	19
12	लेखों के वार्षिक विवरण	19

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
13	पेशगियां	19
14	वापसियां और दावे	23
15	आरक्षित और जब्ती लेखा	25
16	विशेष आरक्षित निधि	26
17	मरणोत्तर सहायता निधि	26
18	कर्मचारी परिवार पैंशन योजना	28
19	केन्द्रीय न्यासी मंडल	30
20	क्षेत्रीय समितियां	35
21	प्रशासन	40
22	कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	41
23	यंत्रों द्वारा लेखे	42
24	आय और व्यय	42
25	लेखा परीक्षा	44
26	निष्कर्ष	44

परिशिष्ट–सूची

परिशिष्ट—क :	उन उद्योगों/स्थापना–वर्गों की सूची जिन पर 31 मार्च, 1973 को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैंशन निधि अधिनियम, 1952 लागू हुआ ।	46
परिशिष्ट—ख :	स्थापनाओं और अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या दिखाने वाला 31 मार्च, 1973 तक का विवरण ।	67
परिशिष्ट—ग :	उन छूट प्राप्त स्थापनाओं के नामों का विवरण जिनको 31 मार्च, 1973 तक निधि की एक लाख रुपये या इससे अधिक रकम अपने संबंधित बोर्डों और न्यासधारियों को भविष्य-निधि अंशदान के रूप में चुकाना बाकी थी ।	70
परिशिष्ट—घ :	वे उद्योग/स्थापनायें जिनके संबंध में विधिक दर वेतन के 8 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है ।	78
परिशिष्ट—ङ :	उन गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरेवार विवरण जिनको 31 मार्च, 1973 तक निधि की एक लाख रुपये या इससे अधिक रकम (जिसमें	90

	भविष्य निधि अंशदान, प्रशासनिक प्रभार तथा दण्डस्वरूप हर्जाने शामिल हैं) चुकाना बाकी थी ।	
परिशिष्ट—च :	उन गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं के नाम दिखाने वाला विवरण जिनमें 1972-73 के दौरान स्थापना के बंद हो जाने पर सदस्यों को तदर्थ अदायगी की गई ।	111
परिशिष्ट—छ :	केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड कार्यकारी भविष्य निधि के सदस्यों की 31 मार्च, 1973 तक की सूची ।	122

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट 1972-73

भूमिका

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। संगठन के कार्यों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है। इसका कारण यह है कि अधिनियम को अतिरिक्त उद्योगों/स्थापना-वर्गों में लागू किया गया है और जिन उद्योगों/स्थापना-वर्गों में यह अधिनियम पहले से ही लागू है उनके अन्तर्गत आने वाली फैक्टरियों/स्थापना-वर्गों में भी लागू किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में संगठन के विस्तार की गति तेज कर दी गई है और अतिरिक्त फैक्टरियों/स्थापनाओं और अंशदान देने वाली संस्थाओं में यह अधिनियम लागू किया गया है। संगठन सदस्यों और उनके नामांकित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों के दावों का जल्दी निपटान करके और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य पेशगियां देकर उनकी सेवा भी करता रहा। सतत् प्रयास करने के फलस्वरूप भविष्य निधि के बकाए पड़े अंशदान की बहुत कुछ वसूली हो पाई है किन्तु विद्यमान बकाया की पूरी वसूली करने के लिए अधिनियम के दन्डात्मक उपबन्धों को और अधिक सख्त करने और इस समय विद्यमान उपबन्धों को सख्ती से लागू करने की संभावना के बारे में निरन्तर विचार किया जा रहा है। पिछले वर्ष आरम्भ की गई कर्मचारी परिवार पेंशन योजना को अधिकाधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें कई संशोधन किए गए। इस वर्ष संगठन के कार्यों में सर्वतोमुखी विस्तार हुआ है।

विस्तार

2. **कार्यक्षेत्र और लागू होना :** कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार

पैंशन निधि अधिनियम, 1952 जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर शेष सारे भारतवर्ष में लागू होता है।

3. आरम्भ में यह अधिनियम केवल 6 उद्योगों में ही लागू था। अब यह अधिनियम 129 उद्योगों और स्थापना-वर्गों में लागू है जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

इस वर्ष निम्नलिखित दो उद्योगों / स्थापना-वर्गों में यह अधिनियम लागू किया गया है :—

(1) कपास की ओटाई करने, गांठें बनाने और प्रैस करने का उद्योग।

(2) सैनिक भोजनालय को छोड़कर सभी भोजनालय।

4. (1) यदि कोई स्थापना ऐसा कोई उद्योग या स्थापना-वर्ग चलाती हो जहां यह अधिनियम लागू होता है और वह 3 वर्ष तक विद्यमान रही हो और उसमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों अथवा 5 वर्ष तक विद्यमान रही हो और उसमें 20 और 49 के बीच की संख्या में व्यक्ति काम करते हों तो ऐसी प्रत्येक स्थापना को इन विधिक उपबन्धों का पालन करना होगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों की स्थापनाओं के बीच कोई भेद नहीं रखा गया है। किन्तु यह अधिनियम उन सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है जहां 50 से कम व्यक्ति काम करते हैं और काम के लिए बिजली इस्तेमाल नहीं की जाती है। बोर्ड ने सिफारिश की कि सहकारी समितियों के पक्ष में बरते गए इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए। सरकार ने बोर्ड की सिफारिश स्वीकार कर ली है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि यह अधिनियम उन स्थापनाओं में भी लागू किया जाए जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। सरकार इस सिफारिश पर भी विचार कर रही है।

(2) जिस स्थापना में इस अधिनियम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से

लागू नहीं की जा सकती वहां नियोक्ता और अधिकांश कर्मचारियों की आपसी सहमति से स्वेच्छा से उन्हें लागू किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वेच्छा से 2352 स्थापनाओं के लगभग 1.08 लाख व्यक्तियों को भविष्य निधि का लाभ मिला है।

5. निधि का सदस्य बनने की पात्रता :

(1) अभी तक तो यही नियम था कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, यदि उसका वेतन 1,000 रु॰ मासिक से अधिक न हो और वह 12 मास अथवा कम अवधि में 240 दिन लगातार नौकरी में रहा हो तो कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बन सकता था। 25 दिसम्बर, 1971 से स्थायी कर्मचारी, चाहे उनकी नौकरी की अवधि कुछ भी हो, कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनने के पात्र होते हैं। वेतन सीमा की यह शर्त श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के अनुसार समाचारपत्रों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।

(2) सामयिक स्थापनाओं के मामले में यदि किसी भी कर्मचारी ने सामयिक स्थापना के 12 महीने के कार्य-काल में उस स्थापना के 12 महीने के कार्यकाल की कम से कम दो तिहाई अवधि तक और अधिकतम 240 दिन नौकरी की हो तो यह माना जाएगा कि उस कर्मचारी ने एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है और वह कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बन सकता है। कुछ बारहमासी फैक्टरियों को भी ऋतु विशेष में होने वाले कार्य करते हुए देखा गया है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की स्थापनाओं में ऋतु विशेष में होने वाले काम करने वाले कर्मचारियों पर भी सामयिक स्थापनाओं में सदस्यता लागू करने से सम्बन्धित उपर्युक्त उपबन्ध लागू होना चाहिए।

(3) ऐसे कई कर्मचारियों को भी जो कि प्रति मास 1,000/- रु॰ से अधिक वेतन लेते हैं और जिनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य

बनना अनिवार्य नहीं था उनकी इच्छा पर उनके नियोक्ताओं की सहमति से कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनाया गया है ।

6. वर्ष के दौरान विस्तार :

इस वर्ष निरन्तर यह प्रयत्न किया गया था कि जिस किसी भी स्थापना में यह अधिनियम लागू किया जा सके उन सभी में इसे लागू किया जाए और उन स्थापनाओं में नियुक्त अधिक से अधिक कर्मचारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि का लाभ पहुंचाया जाए। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप समीक्षाधीन वर्ष में 4170 स्थापनाओं में यह अधिनियम लागू किया गया जबकि वर्ष 1971–72 में 2963 स्थापनाओं में ही लागू किया गया था। वर्ष 1972–73 में भविष्य निधि के अभिदाताओं की संख्या में 4.42 लाख की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1971-72 में इनकी संख्या में 2.61 लाख की ही वृद्धि हुई थी। वर्ष के अन्त में 56,939 स्थापनाओं में अधिनियम लागू किया गया। इनमें भविष्य निधि में अंशदान देने वाले 66.93 लाख व्यक्ति थे। अधिनियम को लागू करने के बारे में क्षेत्रवार स्थिति परिशिष्ट 'ख' में दी गयी है।

स्थापनाओं और अभिदाताओं को इस अधिनियम के अधीन लाने की वृद्धि दर पहले और दूसरे ग्राफ में दिखायी गई है।

निरीक्षण

7. इस वर्ष निरीक्षकों ने 1,12 908 निरीक्षण, सर्वेक्षण और अन्वेषण किए हैं जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 1,11,552 थी। एक निरीक्षक ने प्रति मास औसतन 40 निरीक्षण किए हैं। इसके अलावा, निरीक्षकों ने परिवार पेंशन योजना से सम्बन्धित काम किया है और उन स्थापनाओं पर विशेष ध्यान दिया है जिन्होंने अंशदान नहीं दिए थे। नियमित रूप से उन स्थापनाओं में निरीक्षण बार-बार नहीं किए गए जो नियमित रूप से अंशदान देती हैं और उससे निरीक्षणों की क्षमता और उसके स्तर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा।

छूट प्राप्त स्थापनाएं और छूट की समाप्ति

8. छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्य पर निरन्तर निगरानी रखी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छूट की शर्तों का पालन करती है। इसके लिए नियमित रूप से समय-समय पर निरीक्षण और विवरणियों की छान-बीन की गई। यह देखा गया कि छूट प्राप्त कई स्थापनाओं ने धन लगाने, निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने और विवरणियां भेजने में विलम्ब करने के अलावा न्यासी मंडल को अंशदान का भुगतान भी नहीं किया है। मार्च, 1973 के अन्त में छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासियों ने न्यासी मंडल का 642.96 लाख रुपये अन्तरित नहीं किए। जो छूट प्राप्त स्थापना 31 मार्च, 1973 तक अपने-अपने न्यासी मण्डलों को एक लाख रुपये या उससे अधिक का भविष्य निधि अंशदान अन्तरित नहीं कर पाई थीं उनके नाम परिशिष्ट 'ग' में दिए गए हैं। देनदारियों पर निगरानी रखना कठिन हो गया क्योंकि बकाया राशि को भूराजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करने और न्यासी मंडल को भविष्य निधि अंशदान अन्तरित करने में देर होने पर हर्जाना लेने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। मंडल ने सरकार से सिफारिश की कि ऐसे मामलों में वसूली करने और हर्जानों की उगाही करने के लिए अधिनियम की धाराएं 8 और 14-ख का संशोधन किया जाए। इस प्रकार के मामलों में छूट को रद्द करने के लिए सम्बन्धित सरकार से सिफारिश की गई थी।

अंशदान

9. अंशदान की दर :

कुछ विशिष्ट उद्योगों और स्थापना-वर्गों को छोड़ कर, शेष सब में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को भविष्य निधि में अंशदान की विधिक दर के रूप में वेतन का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत देना होता है। इस वेतन में मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य पदार्थों पर दी गई रियायतों का नकद मूल्य भी शामिल है, और यदि प्रतिधारण भत्ता हो तो वह भी सम्मि-

लित है। परन्तु आयुक्त किसी भी सदस्य को उसको अपनी इच्छा से $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक अंशदान करने की अनुमति दे सकता है।

10. अंशदान की दर में वृद्धि :

(1) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह जिस तरह उपयुक्त समझे जांच करवा कर किसी भी उद्योग/स्थापना-वर्ग की विधिक दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर सकती है।

(2) 31-3-1973 को 89 उद्योगों/स्थापना-वर्गों के उन प्रतिष्ठानों में बढ़ाई गई 8 प्रतिशत की दर लागू कर दी गई थी जिनमें 50 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते थे। जिन उद्योगों/स्थापना-वर्गों में विधिक दर को बढ़ाकर वेतन का 8 प्रतिशत किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'घ' में दी गई है।

(3) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सुझाव दिया है कि अंशदान की वर्तमान $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर क्रमश: 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया जाए। सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है।

11. अतिरिक्त बोनस भविष्य निधि में जमा करना :

23 सितम्बर, 1972 को जारी किए गए बोनस (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के अनुसार गैर छूट-प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अतिरिक्त बोनस कर्मचारी भविष्य निधि में और छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अपने-अपने न्यासी मंडल के पास जमा करना था। तदानुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों और छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी मंडलों को अनुदेश दिए गए थे कि नियोक्ताओं द्वारा बोनस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जो अतिरिक्त बोनस जमा किया जाएगा उसे स्वीकार किया जाए। इस प्रकार 14.8 लाख रु. की राशि मिली थी और वह कर्मचारियों

के अंशदान के हिस्से के रूप में सदस्यों के अपने-अपने खातों में जमा कर दी गई।

1. **अंशदानों की मात्रा** :

इस वर्ष छूट प्राप्त और गैर छूट-प्राप्त दोनों प्रकार की स्थापनाओं से कुल 387.47 करोड़ रुपये की राशि अंशदान के रूप में मिली है। (इसमें अन्तरित सेक्यूरिटी के 1.99 करोड़ रुपये सहित 122.09 करोड़ रुपये गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं से हैं और निवेश के ब्याज और दूसरी फुटकर प्राप्तियों सहित 265.38 करोड़ रुपये छूट प्राप्त स्थापनाओं से है।) पिछले वर्ष 359.42 करोड़ रुपया (गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं से 107.25 करोड़ रुपये और छूट प्राप्त स्थापनाओं से 252.17 करोड़ रुपये) की राशि मिली थी। इस तरह इस वर्ष 28.05 करोड़ रुपये अधिक मिले है। अंशदान में वृद्धिकी दर 8 प्रतिशत थी। जब से अधि नियम लागू किया गया तब से छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं से अंशदान के रूप में कुल 2541.57 करोड़ रुपये मिले हैं। अंशदानों की मात्रा में हुई वर्षवार प्रगामी वृद्धि ग्राफ 3 में दिखाई गई है।

भविष्य निधिके बकाया अंशदान की वसूली

13. देनदार स्थापनाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई करना एक बहुत ही समस्या रही है। अधिनियम के अन्तर्गत गैर छूट प्राप्त देनदार स्थापनाओं के विरुद्ध जो कानूनी सख्ती की जा सकती है वह इस प्रकार है— (1) बकाया राशि की वसूली भूराजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करना (2) मुकद्मा चलाना और (3) दण्ड स्वरूप हर्जाने लगाना। इसके अलावा जो नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से अंशदान का हिस्सा काटकर जमा नहीं करते हैं उन पर भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

वसूली

14. इस वर्ष 545.45 लाख रुपयों की वसूली के लगभग 4891

मामलों पर कार्यवाई की गई थी जबकि पिछले वर्ष 374.10 लाख रुपयों की वसूली के 4,359 मामलों पर कार्यवाई की गई थी। इस वर्ष वसूली की कार्यवाई के जरिए 363.14 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। जबकि पिछले वर्ष 205.60 लाख रुपये की वसूली की गई थी।

मुकदमे

15. (1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैंशन निधि अधिनियम, 1952 और परिवार पैंशन योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि में देय राशि जमा न करना और निर्धारित समय के भीतर विवरणियां न भेजना दण्डनीय अपराध हैं। जो नियोक्ता वे अभिलेख प्रस्तुत नहीं करते जिनकी सहायता से यह सत्यापन किया जाए कि कानूनी उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं वे अपराध करते हैं और उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

(2) इस वर्ष देनदार नियोक्ताओं पर 5,729 मुकदमे चलाए गए जबकि पिछले वर्ष 4,441 मुकदमे चलाए गए थे। 1972-73 में जितने मुकदमे दायर किए गए थे और जिनका निपटारा हुआ था उनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

पिछले अनिर्णित मामले	इस वर्ष चलाए गए मुकदमे	निपटाए गए मुकदमे	वर्ष के अन्त में अदालतों में अनिर्णित मामले
(1)	(2)	(3)	(4)
	दोषी ठहराए गए	5,596	
	मुक्त किए गए	211	

(1)	(2)	(3)	(4)
	(1) देय राशि का भुगतान करने पर वापस किए गए	252	
	(2) अन्य कारणों से वापस किए गए	34	
	खारिज/बरखास्त किए गए ।	22	
10,137	5,729	6,115	9,751

(3) छूट प्राप्त देनदार स्थापनाओं के जिन नियोक्ताओं ने कर्मचारियों के वेतन से काटा गया भविष्य निधि के अंशदान का हिस्सा जमा नहीं किया था उन पर भारतीय दन्ड संहिता की धाराएं 406/409 के अन्तर्गत इस वर्ष 52 शिकायतें दर्ज की गई । इस प्रकार कुल 387 शिकायतें दर्ज की गई हैं । इस वर्ष 6 मामलों में मुलजिमों को इस वजह से बरी किया गया कि उन्हें कोई धन राशि नहीं सौंपी गई थी जिसके कारण भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्ध लागू किए जा सकें । मुलजिम की मृत्यु होने की वजह से एक मामला छोड़ दिया गया और बकाया राशि का भुगतान कर देने पर दूसरा एक मामला भी छोड़ दिया गया ।

दण्ड स्वरूप हर्जाने

16. (1) भविष्य निधि अंशदानों का देर से भुगतान करने पर हर्जाने के रूप में 4.88 लाख रुपये की राशि वसूल की गई ।

(2) अतिदेय प्रशासनिक और निरीक्षण शुल्कों के लिए 0.15 लाख रुपयों की दण्डस्वरूप हर्जाने की वसूली की गई।

17. (1) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कानूनी सख्ती (अर्थात् वसूली करना, मुकदमा चलाना और हर्जानों की उगाही) की जा सकती है वह करने का अधिकार संबंधित सरकार को है। सम्बन्धित सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार का अधिकार राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसलिए वास्तव में सम्बन्धित राज्य सरकार ही इन कार्यवाइयों को करने की अनुमति देती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के प्राधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकार से केवल सिफारिश कर सकते हैं कि वह बकाया राशियों को वसूल करने के लिए उपर्युक्त एक या अधिक दाण्डिक कार्य-वाई करें। इससे संगठन को बकाया राशियों को वसूल करने के लिए कार-गर कार्यवाई करने में गंभीर बाधा होती है।

(2) आम तौर पर राज्य सरकारें कोई सख्त कार्यवाई करने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि उससे देनदार स्थापना सम्भवतः बन्द हो जाए और अनेकों कर्मचारी बेकार हो जाएं जिससे बेकारी की समस्या और बिगड़ जाएगी। इसके अलावा पुनः चालू की गई ऐसी कई कपड़ा यूनिटें चालू भविष्य निधि की राशियां जमा नहीं कर सकी हैं जो प्राधिकृत नियंत्रकों के अधीन हैं। इन यूनिटों को प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा अपने हाथ में लेने से पहले की अवधि से सम्बन्धित भविष्य निधि की बकाया राशियों को राज्य सरकार ने राहत कार्य संस्था अधिनियम के अन्तर्गत अनुपलभ्य करार दिया है। वसूली की वर्तमान प्रणाली का उपयोग केवल उन्ही स्थापनाओं के मामले में सफलतापूर्वक किया जा सकता है जो आर्थिक दृष्टि से सबल हैं। किन्तु जो स्थापनाएं बन्द होने वाली हैं या बन्द हो चुकी हैं उनके विरुद्ध कोई कारगर कार्यवाई नही की जा सकेगी।

18. अधिनियम के अन्तर्गत जो मुकदमे दायर किए गए थे उनमें से अधिकांश मामलों में अदालत ने मामूली सा जुर्माना लगाया था इसलिए मुकदमों का आवश्यक निवारक प्रभाव नहीं पड़ा है।

19. फिर भी वर्तमान कानूनी सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए और सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से जितनी हो सके उतनी बकाया राशि वसूल करने के जोरदार प्रयत्न किए गए। इसके फलस्वरूप गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में भविष्य निधि की अधिनियम लागू होनें से पहले की संचित राशियों सहित भविष्य निधि के अंशदानों की कुल बकाया धन राशि घटकर 31-3-1973 को 19.61 करोड़ रुपये हो गई जबकि 31-3-1972 को यह 20.66 करोड़ रु. थी। इस प्रकार इन वर्षों में बकाया राशियों में 1.05 करोड़ रु. की कमी हुई जबकि पिछले वर्ष बकाया राशियां 4.17 करोड़ रुपये बढ़ गई थी। ये बकाया राशियां गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं से एकत्रित कुल अंशदानों की केवल 2.1 प्रतिशत है। बकाया पड़े अंशदानों का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	मार्च 70 के अंत तक की बकाया राशि	मार्च, 71 के अंत तक की बकाया राशि	मार्च, 72 के अंत तक की बकाया राशि	मार्च, 73 के अंत तक की बकाया राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश	46.48	44.40	65.24	62.02
2.	असम	8.85	9.99	20.29	26.80
3.	बिहार	50.42	47.15	51.94	79.30
4.	दिल्ली	4.81	7.81	16.77	13.83
5.	गुजरात	75.47	57.89	60.60	58.73
6.	केरल	40.46	39.65	62.00	64.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	मध्य प्रदेश	144.32	185.10	234.41	228.82
8.	महाराष्ट्र	524.98	581.76	658.51	622.37
9.	मैसूर	12.09	21.76	26.45	31.02
10.	उड़ीसा	17.67	13.12	19.04	17.39
11.	पंजाब	15.23	19.43	20.58	13.67
12.	राजस्थान	10.29	20.18	49.74	28.30
13.	तमिलनाडु	137.57	133.60	191.59	167.76
14.	उत्तर प्रदेश	126.16	179.45	201.77	216.29
15.	पश्चिम बंगाल	253.91	288.11	386.64	330.43
जोड़		1,468.71	1,649.40	2,065.57	1,960.83

20. अधिनियम लागू करने के पूर्व और बाद के 1960.83 लाख रु. के बकाया अंशदान के अलावा 31 मार्च, 1973 तक प्रशासनिक शुल्क के तौर पर 44.92 लाख रुपये और दण्डस्वरूप हर्जानों के तौर पर 409.92 लाख रुपये की राशि वसूल होनी थी। इस प्रकार तब तक भविष्य निधि का कुल 2415.67 लाख रुपया बकाया रहना था।

21. 31-3-1973 तक के 19.61 करोड़ रुपये के कुल बकाया अंशदान में से 15.95 करोड़ रुपये का बकाया केवल छः उद्योगों/स्थापनावर्गों अर्थात् कपड़ा, इंजीनियरिंग, चाय, बिजली, समाचारपत्र और वाणिज्यक

स्थापनाओं पर था। अधिकांश बकाया कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापनाओं पर था। नीचे की सारणी में दिए गए आंकड़ों में यह स्पष्ट है :—

वर्ष समाप्ति की तारीख	भविष्य निधि के अंशदान की कुल बकाया रकम (लाख रुपयों में)	भविष्य निधि के अंशदानों की बकाया रकम	
		कपड़ा उद्योग से	इंजीनियरिंग उद्योग से (लाख रुपयों में)
31-3-1969	1217	833	125
31-3-1970	1469	954	162
31-3-1971	1649	1050	188
31-3-1972	2066	1287	249
31-3-1973	1961	1192	248

22. देनदार स्थापनाओं ने (31-3-1973 तक) बकाया राशि का भुगतान करने में जो चूक की है उसके स्वरूप के अध्ययन से पता चलता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लाई गई गैर छूट प्राप्त कुल 54,509 स्थापनाओं में से केवल 7,900 स्थापनाएं (जो कुल का 14.5 प्रतिशत थीं) ऐसी ही जिन्होंने कभी एक बार भुगतान करने में चूक की थी। इसमें से भी केवल 231 थे जिनकी गणना बड़े-बड़े पुराने देनदारों में होती है और उनसे जो बकाया अंशदान और अन्य बकाया राशियां वसूल होनी थी उसका प्रतिशत 71 था। इनमें से अधिकांश स्थापनाएं कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों की थी।

23. जिन गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं ने 31-3-1973 तक प्रत्येक से प्राप्त बकाया राशि सहित एक लाख रुपये या उससे अधिक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है उनके नाम परिशिष्ट 'ड' में दिए गए हैं।

24. बोर्ड ने बकाया कि भारी रकमों को देख हुए बड़ी चिन्ता व्यक्त की और यह इच्छा प्रकट की कि अधिनियम के दाण्डिक उपबन्धों को अधिक कठोर बनाने और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को बकाया वसूल करने, मुकदमा चलाने आदि के लिए अधिकार देने के लिए प्रस्तावित कानून की व्यवस्था शीघ्र की जाए। अब अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि के प्राधिकारियों को बकाया वसूल करने, मुकदमा चलाने और हर्जाने वसूल करने का अधिकार दे दिया गया है। उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि की बकाया रकम जमा करने में बार-बार चूक करने पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से अंशदान का हिस्सा काटने का मतलब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 के अनुसार यह होगा कि वह राशि कर्मचारी भविष्य निधि में जमा करने के लिए नियोक्ता को सौंपी गई है। अब जिस कानून की व्यवस्था की गई है उससे बकाया रकमों में कमी होने की उम्मीद है।

निवेश

25. रिपोर्ट के इस वर्ष के दौरान बोर्ड का ध्यान निरन्तर इस ओर रहा कि भविष्य निधि की पूंजी को कर्मचारियों के अधिकाधिक लाभ के लिए विविध निवेशों में लगातार किस तरह लगाया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य समाज के पददलित वर्ग के हैं और उनका प्रायः एकमात्र सामाजिक सुरक्षा लाभ भविष्य निधि ही है। इन सदस्यों को अधिक ब्याज की दर देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह महसूस किया कि इन्हें अपनी जीवन बचत पर पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए। इसलिए बोर्ड ने सिफारिश की कि वर्ष 1972-73 के दौरान छूट

प्राप्त और गैर छूट प्राप्त दोनों स्थापनाओं की संचित राशि की निवेश पद्धति को उदार बनाकर कम से कम निम्नलिखित स्तर पर ले आना चाहिए :

(क) केन्द्रीय सरकार / की सिक्यूरिटियों में और डाकघर की सावधिक जमा-राशियों को छोड़कर अल्प बचतों में 25 प्रतिशत ।

(ख) राज्य सरकार की / राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटी-कृत सिक्यूरिटियों में 25 प्रतिशत ।

(ग) डाकघर की सावधिक जमा में 50 प्रतिशत ।

बोर्ड ने अध्यक्ष को यह अधिकार दिया कि वह वित्त मंत्रालय से निवेश-पद्धति पर बातचीत करके 1972-73 के लिए अपनाई जाने वाली निवेश-पद्धति को अंतिम रूप दें । इस बातचीत के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने 1972–73 के लिए निम्नलिखित निवेश–पद्धति निर्धारित की :

1-4-72 से 30–9-72 तक

(1) केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिटी में	45 प्रतिशत
(2) राज्य सरकार की/राज्य या केन्द्रीय सरकार व गारंटीकृत सिक्यूरिटियों में	25 प्रतिशत
(3) डाकघर सावधिक जमा और लघु बचतों में	30 प्रतिशत

1-10 72 से 31-3-1973 तक

(1) केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिटियों में	शून्य
(2) राज्य सरकार/ राज्य या केन्द्रीय सरकार गारंटीकृत सिक्यूरिटियों में	25 प्रतिशत

(3) डाकघर सावधिक जमा में 75 प्रतिशत

यह निवेष पद्धति वर्ष 1971-72 के लिए निर्धारित निम्नलिखित निवेश पद्धति से काफी मिलती जुलती है :—

(1) केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिटियां कम से कम 45 प्रतिशत

(2) राज्य सरकार की सिक्यूरिटियों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की गरंटीकृत सिक्यूरिटियों, आयकर से मुक्त अल्प बचत सिक्यूरिटियों और डाकघर की 1 वर्ष, 3 वर्ष तथा 5 वर्ष की सावधिक जमा। शेष

26. इस प्रकार की उदार निवेश-पद्धति के फलस्वरूप वर्ष के आरम्भ में भविष्य निधि को अधिक ब्याज वाले डाकघर सावधिक जमा में काफी मात्रा में निवेशित किया जा सका। बोर्ड ने जो निवेश सेल गठित किया था उसके प्रयत्नों से कम लाभ वाली 7.50 करोड़ रुपये की सिक्यूरिटियों को भी भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यों में अधिक लाभ वाली सिक्यिूरिटियों में बदल दिया गया।

27. 1972-73 के दौरान गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं से सम्बन्धित अंशदान, ब्याज और विविध प्राप्तियों से किए गए निवेशों का विश्लेषण इस प्रकार है :

निम्नलिखितों में किए गए निवेश	(करोड़ रुपयों में)
(1) केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिटियों में	24.1
(2) राज्य सरकार और सरकार द्वारा गारंटीकृत सिक्यूरिटियों में	32.4

(3) डाकघर की सावधिक जमा 69.49

126.09

28. गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं ने अपनी भविष्य निधि में से 31-3-1973 तक कुल 819.58 करोड़ रुपये निवेशित किए। वर्ष 1972-73 में 126.09 करोड़ रुपये निचिशित किए गए जबकि 1971-72 में निवेशित राशि 92.67 करोड़ रुपये थी। 1972-73 में निवेशित राशि पर 36.41 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में मिले।

29. छूट प्राप्त स्थापनाओं को भी वही निवेश पद्धति अपनानी थी जो कि 1972-73 में गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निर्धारित की गई थी। इस वर्ष छूट प्राप्त स्थापनाओं को ब्याज और विविध प्राप्तियों सहित जो अंशदान मिले और उन्होंने निवेश किया उनका विश्लेषण इस प्रकार है :—

		(करोड़ रुपयों में)
(1) 1-4-72 को निवेशित न की गई शेष राशि	0.32	
(2) प्राप्त अंशदान (जिसमें निवेश पर प्राप्त ब्याज और दूसरी विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं)	265.38	
	265.70	265.70
(3) पूंजी का निवेश :—		
(क) केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिटियों में	42.92	
(ख) राज्य सरकार की और सरकार द्वारा गारंटीकृत सिक्यूरिटियों में	29.81	

(ग) अल्प बचत	17.38	
(घ) डाकघर सावधिक जमा	65.88	
	155.99	155.99
(4) दावों के अन्तिम निपटारे में वापस की गई और पेशगियों के रूप में दी गई रकम		109.31
(5) हस्त शेष		0.40

30. छूट प्राप्त स्थापनाओं ने 31-3-1973 तक अपनी भविष्य निधि की पूंजी में से कुल 930.99 करोड़ रुपये निवेशित किए। इस प्रकार भविष्य निधि की संचित पूंजी में से छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त दोनों स्थापनाओं की कुल निवेशित पूंजी 31-3-1973 को 1750.57 करोड़ रुपये थी। निवेश की प्रगामी वृद्धि ग्राफ 4 में दिखाई गई है।

ब्याज

31. 1973-74 के लिए भी गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं में भविष्य निधि के सदस्यों को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देना है।

32. बोर्ड को उम्मीद है कि वह भविष्य में अपने सदस्यों को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज दे पाएगा क्योंकि निवेश-पद्धति को उदार बना दिया गया है और कम लाभ वाली सिक्यूरिटियों को अधिक लाभ वाली सिक्युरिटियों में बदल दिया गया है। इसलिए सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह ब्याज की वर्तमान 6 प्रतिशत की निर्धारित दर को उचित रूप से बढ़ाए क्योंकि यदि भविष्य निधि के ब्याज के रूप में अर्जित धन 6 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उस पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत और उसके बनाये गए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार कर लगेगा।

खाता कार्डों में वर्ष में एक बार इन्दराज करने की योजना

33. खाता कार्डों में अंशदान को (महीने में एक बार के बजाय) वर्ष में एक बार इन्दराज करने की योजना गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं में 1-10-68 को आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य लेखा-विधि की पद्धति को हद तक सरल बनाना और इसके साथ ही साथ सदस्यों के खाते रखने पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को कम करना था। इस योजना को आरंभ में कुछेक बहुत ही नियमित स्थापनाओं में प्रयोग के तौर पर लागू किया था और बाद में उन स्थापनाओं में भी लागू किया गया जो आदतन देनदार नहीं थीं। वर्ष के अन्त में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में (कुल 42 लाख खातों में से) लगभग 28 लाख खाते इस पद्धति पर बनाये गए थे।

लेखों के वार्षिक विवरण

34. इस वर्ष 41.05 लाख वार्षिक लेखा विवरण जारी किये गए जबकि पिछले वर्ष 36.24 लाख वार्षिक लेखा-विवरण जारी किए गए थे। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक 32.49 लाख लेखा-विवरण जारी करने शेष रह जाते हैं। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदानों में परिवार पेंशन के अंशदान मिलाने के कारण लेखे तैयार करने में कठिनाइयां हुई हैं और कई कारणों से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काम की प्रगति धीमी और असन्तोषजनक रही है। इसके अलावा नियोक्ताओं ने समय पर सही विवरणियां नहीं भेजी हैं, नहीं तो प्रगति और भी अच्छी रहती। किन्तु अब लेखे जारी करने का काम तेजी से हो रहा है और उम्मीद है कि अधिकांश बकाया विवरण 31-12-1973 तक भेज दिए जायेंगे।

पेशगियां

35. इस योजना के अनुसार भविष्य निधि के सदस्यों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पेशगियां दी जायेंगी :—

(1) जीवन बीमा पालिसी की किश्तों के लिए;

(2) रिहायशी भूमि/घर खरीदने के लिए और/या रिहायशी घर बनाने के लिए;

(3) उपभोक्ता सहकारी/ऋण/गृह निर्माण समितियों के शेयर खरीदने के लिए;

(4) किसी स्थापना के अस्थायी रूप में बन्द होने के दौरान;

(5) सदस्य की अपनी और अपने परिवार की बीमारी में;

(6) लड़की के विवाह अथवा बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए;

(7) असाधारण संकट के कारण सदस्य की चल या अचल संपत्ति को क्षति पहुंचने पर;

(8) व्यक्तिगत छटनी में बेरोजगारी के दौरान सहायता के रूप में।

36. कर्मचारी भविष्य निधि की योजना के पैरा 68-ख में संशोधन किया गया है। उस पैराग्राफ के अनुसार पेशगी प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि आयुक्त को संपत्ति का हक-विलेख प्रस्तुत करना होता था। अब उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। यह इसलिए किया गया है कि भविष्य निधि के सदस्य आवास, वित्त निगम, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति, संस्था या ट्रस्ट से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करके रहने के लिए घर बनाने या घर अथवा भूमि मोल लेने का कुछ खर्च उठा सकें। इसी प्रकार कुछ राज्यों में बिजली की सप्लाई में भारी कटौती करने के कारण हुए कष्ट को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया गया था कि बिजली की सप्लाई में कटौती करने से जो सदस्य प्रभावित हुए हैं उन्हें पेशगी दी जाए। इसे अनुमोदित किया जा चुका है और तदनुसार योजना में संशोधन किया गया है।

37. इस वर्ष जिन मामलों में पेशगी दी गई, उसकी संख्या प्रयोजन और रकम का विवरण इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	पेशगी का उद्देश्य	मामलों की संख्या			दी गई रकम		
		1970-71	1971-72	1972-73	1970-71	1971-72	1972-73
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जीवन बीमा पालिसियों की अदायगी	60,230	52,192	53,134	64.92	70.47	71.21
2.	घर बनाना आदि	6,260	7,524	8,301	90.10	124.84	152.97
3.	उपभोक्ता सहकारी/ऋण/गृह-निर्माण समितियों के शेयरों की खरीद।	688	1,497	467	0.20	0.45	0.12
4.	स्थापना के अस्थायी रूप में बंद रहने के दौरान	42,551	64,586	27,211	91.05	198.16	75.75
5.	सदस्यों/परिवार की बीमारी	3,382	6,902	6,056	13.59	28.90	31.81
6.	लड़की के विवाह के लिए और बच्चों की मैट्रिक के उपरांत शिक्षा पर	42,171	34,071	29,215	320.95	263.77	255.22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	असाधारण संकट के कारण सदस्य की चल और अचल संपत्ति की क्षति की स्थिति में।	1,410	5,678	1,302	2.06	10.71	1.98
8.	छंटनी के फलस्वरूप सदस्यों को बेरोजगारी सहायता।	28	5	168	0.18	0.01	0.92
	जोड़	1,56,720	1,72,455	1,26,034	583.05	697.31	589.98

38. यद्यपि लड़की के विवाह और बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए प्राप्त पेशगियां के आवेदन-पत्रों की कड़ी जांच के कारण पेशगियों के मामले काबू में ही रहे, फिर भी इस सुविधा से निधि की पूंजी में से भारी मात्रा में पेशगियां ली जाती रहनी हैं।

39. जिन स्थापनाओं के अस्थाई तौर पर बन्द होने पर पेशगियां दी गई थीं उनकी सूची परिशिष्ट 'च' में दी गई है।

वापसियां और दावे

40. इस वर्ष योजना में संशोधन किया गया और नियोक्ता तथा कर्मचारी के आपसी समझौते के अनुसार बनाई गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारी को सेवा से मुक्त करने पर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान का पूरा हिस्सा ब्याज सहित अदा करने की अनुमति दी गई है। यह भी व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर छंटनी माना जाए।

41. 1972-73 में 2.08 लाख दावों के सम्बन्ध में 32.93 करोड़ रुपये दिये गए थे जबकि 1971-72 के दौरान 2.36 लाख दावों के सम्बन्ध में 32.94 करोड़ रुपये दिए गए थे। 1962-63 में भुगतान किए गए प्रत्येक दावे पर औसतन् 566 रुपये दिए गए थे। 1972-73 में यह राशि बढ़कर 1581 रुपये हो गई है। योजना के लागू होने के समय से लेकर मार्च, 1973 के अन्त तक 28.40 लाख दावों के सम्बन्ध में कुल 251.15 करोड़ रुपये की की राशि दी गई है।

42. 1972-73 में किए गए दावों के भुगतान का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1971-72 की तुलनात्मक स्थिति व्यक्त करते हैं। किन्तु इनमें वे मामले शामिल नहीं है जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या निधि से छूट प्राप्त स्थापनाओं को अन्तरित किए गए हैं :—

श्रेणी	निपटाए गए दावों की संख्या		दी गई रकम (लाख रुपयों में)	
1. मृत्यु	11,890	(12,266)	294.29	(260.81)
2. वार्धक्या-निवृत्ति	17,383	(16,189)	665.89	(547.39)
3. स्थायी अपंगता	4,595	(5,256)	105.23	(120.21)
4. त्यागपत्र/ नौकरी/ समाप्ति	1,24,659	(1,30,929)	1,486.89	(1462.51)
5. छंटनी	45,105	(63,033)	666.13	(797.47)
6. बरखास्तगी	2,219	(2,217)	26.05	(28.96)
7. प्रवसन	456	(802)	18.13	(24.05)
8. अन्य	2,064	(5,191)	30.82	(52.82)
जोड़	2,08,371	(2,35,883)	3293.43	(3294.22)

43. इस संगठन का प्रयत्न यह रहा है कि दावों का निपटारा तुरन्त किया जाए जिससे सदस्यों या उनके परिवारों/वारिसों को समय पर सहायता मिले। लगभग 91 प्रतिशत दावों का पूरी तरह निपटारा उनके मिलने की तारीख के एक महीने के भीतर और 56 प्रतिशत दावों का निपटारा 10 दिन के भीतर किया गया था।

आरक्षित और जब्ती लेखा

यदि किसी सदस्य की सदस्यता की अवधि 15 वर्ष से कम हो अथवा उसे गम्भीर और जानबूझकर किए गए दुराचरण के आधार पर नौकरी से निकाल दिया जाए तो नियोक्ता के भाग का जो अंशदान उसे देय नहीं होता है तो वह राशि जो उसे अदा नहीं की गई ब्याज सहित आरक्षित और जब्ती लेखे में जमा कर दी जाती है। इस वर्ष 120.84 लाख रुपए जब्त किए गये जबकि पिछले वर्ष यह राशि 116.99 लाख रुपये थी। मार्च, 1973 के अन्त तक इस लेखे में कुल 963.05 लाख रुपये की रकम प्राप्त हुई है। आरक्षित और जब्ती लेखे का विवरण नीचे दिया जाता है :—

	(लाख रुपयों में)
(1) 31-3-73 तक जब्त की गई राशि	963.05
(2) प्रयुक्त राशि :—	
(क) मनीआर्डर कमीशन के रूप में और निधि को छोड़कर जाने वाले उन सदस्यों की आर्थिक सहायता के कारण जिनके मामले में विशेष आरक्षित निधि आरम्भ करने से पूर्व नियोक्ताओं ने पर्याप्त राशि जमा नहीं करवाई थी।	11.55
(ख) विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण के कारण।	85.00
(ग) मृत्यु सहायता निधि में अन्तरण के कारण।	67.00
	163.55
(3) 31-3-73 को आरक्षित और जब्ती लेखे में विद्यमान निबल रकम।	799.50

विशेष आरक्षित निधि

45. 15 सितम्बर, 1960 को एक विशेष आरक्षित निधि की स्थापना की गई थी। उसका उद्देश्य यह था कि गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं से नौकरी छोड़कर जाने वाले ऐसे सदस्यों अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों/वारिसों को भुगतान किया जा सके जिनकी भविष्य निधि में उनके नियोक्ताओं ने अपना पूर्ण या आंशिक भविष्य निधि अंशदान जमा न करवाया हो। 1965 में सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सदस्यों को ब्याज सहित उनके अंशदान का वह भाग अदा किया जा रहा है जोकि नियोक्ताओं ने उनके वेतन से तो काट लिया था मगर निधि में जमा नहीं करवाया था। निधि में जमा न किए गए अंशदान का नियोक्ता का भाग तब तक सदस्य को नहीं मिल सकता जब तक कि वास्तव में उसकी वसूली न की जा सके।

46. सदस्यों को देय बकाया अंशदान की अदायगी के लिए 31-3-1973 तक भविष्य निधि के आरक्षित और जब्ती लेख से 85 लाख रुपए निकाल कर विशेष आरक्षित निधि में जमा करवाए गए थे। इस वर्ष के दौरान इस निधि में से 3.89 लाख रुपए की राशि अदा की गई और इस तरह इस निधि में से आरम्भ से लेकर अब तक कुल 103.38 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। इन भुगतानों के लिए नियोक्ताओं से कुल 31.63 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं जिनमें से 0.67 लाख रुपए इस वर्ष वसूल हुए हैं। मार्च, 1973 के अन्त तक विशेष आरक्षित निधि में 13.25 लाख रुपए शेष बचे हैं जबकि मार्च, 1972 के अन्त में यह राशि 6.47 लाख रुपए थी।

मृत्यु सहायता निधि

47. उन स्थापनाओं के, जिन्हें छूट नहीं दी गई थी, मृत सदस्यों के, जिनका मृत्यु के समय मासिक वेतन 500/-रुपए से अधिक नहीं था, नामांकितो/उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए जनवरी,

1964 में मृत्यु सहायता निधि का श्रीगणेश किया गया जिससे कि मृतक नामांकितो/उत्तराधिकारियों को कम से कम 500/- रुपये की राशि एकमुश्त दी जा सके। 1 अगस्त, 1969 से सहायता की निम्नतम राशि बढ़ाकर 750/- रुपये कर दी गई। इस निधि से उन मृत सदस्यों के नामांकितो/उत्तराधिकारियों को सहायता नहीं दी जाएगी जिन्होंने निवृत्ति के पूर्ण फायदे लेने के पश्चात् किसी ऐसी स्थापना में फिर से नौकरी कर ली हो जिस पर अधिनियम लागू हो। मृत्यु सहायता-निधि को आरक्षण और जब्त लेखे से निधियों के आवधिक अंतरण द्वारा सम्पोषित किया जाता है। मृत्यु सहायता निधि को अब तक अंतरित कुल 67 लाख रुपयों में से, मार्च, 1973 के अंत तक 64·67 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। और इस प्रकार 2.33 लाख रुपये की राशि शेष रह गई थी। वर्ष के दौरान 1877 मामलों में 6.94 लाख रुपयों की अदायगी की गई।

48. कर्मचारी परिवार पैंशन योजना के अंतर्गत 1-4-73 से आवर्ती परिवार पैंशन और एकमुश्त जीवन बीमा लाभ के देय होने पर यह शंका उठाई गई कि क्या मृत्यु सहायता-निधि से सहायता जारी रखना उचित था और यदि हां, तो, क्या सहायता की मात्रा को, परिवार पैंशन निधि को अंतरित भविष्य निधि के अंशदान के भाग को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना था। बोर्ड की राय में ये दोनों ही लाभ अलग-अलग थे अतः उन्हें जारी रहना चाहिए था। इसके साथ ही, बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि मृत्यु सहायता-निधि से सहायता की मात्रा का, केवल कर्मचारी के भविष्य निधि के अंशदान के संदर्भ में ही तथा परिवार पैंशन अंशदान पर बिना विचार किए हुए, हिसाब लगाया जाए। बोर्ड की ये सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। इसके फलस्वरूप परिवार पैंशन निधि के सदस्यों के नामांकितो/उत्तराधिकारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की तुलना में मृत्यु सहायता-निधि से उच्चतर दर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि परिवार पैंशन निधि के सदस्यों को भविष्य निधि की संचित राशि अपेक्षाकृत कम होगी।

कर्मचारी परिवार पेंशन योजना

49. कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को कार्यान्वित हुए दो वर्ष पूरे हो गए हैं। अपनी नौकरी के दौरान असमय मृत जिन सदस्यों के परिवारों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों की जो अपर्याप्तता बहुत समय से महसूस की जा रही थी वह इस योजना के अन्तर्गत देय महत्वपूर्ण दीर्घकालीन सुरक्षा से पूर्ण हो गई है। यह उन सभी कर्मचारियों पर आवश्यक रूप से लागू होती है जो 1 मार्च, 1971 के पश्चात् भविष्य निधि के सदस्य बनते हैं। जो कर्मचारी 28 फरवरी 1971 से पहले ही भविष्य निधि के सदस्य थे उनको यह विकल्प दिया गया कि वे अपनी इच्छानुसार इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस विकल्प के प्रयोग की परिसीमा को जो पहले 31 मई, 1971 तक निर्धारित की गई थी, बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त, 1971 तक कर दिया गया ताकि अंशदाताओं को योजना के उपबंधों पर भली प्रकार विचार करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। आवधिक कारखानों और स्थापनाओं के कर्मचारियों की विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करने की अवधि की अन्तिम तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल, 1972 कर दी गई। इसी प्रकार बन्द पड़ी हुई स्थापनाओं में नियोजित व्यक्तियों के बारे में इस विकल्प का प्रयोग करने की तारीख बढ़ाकर 31, दिसम्बर, 1972 कर दी गई।

50. 31 मार्च, 1973 को परिवार पेंशन योजना के सदस्यों की कुल संख्या 12.09 लाख थी, जिनमें से 8.23 लाख व्यक्ति उन स्थापनाओं में कार्यरत थे जिन्हें छूट नहीं दी गई थी जबकि छूट प्राप्त स्थापनाओं में केवल 3.86 लाख व्यक्ति ही काम कर रहे थे।

51. परिवार पेंशन योजना के कार्य संचालन की प्रारम्भिक अवस्था में ध्यान में लाई गई कतिपय कमियों को योजना को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करके दूर किया गया :—

(1) सदस्यों को इस योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन निधि के अंशदान का भुगतान निरन्तर करना पड़ता था लेकिन स्थापना के बन्द रहने,

हड़ताल, तालाबन्दी, बिना वेतन छुट्टी, स्थायी रूप से रोजगार के समाप्त इत्यादि जैसी विभिन्न परिस्थितियों में, जिस दौरान परिवार पैंशन निधि में कोई अंशदान देय नहीं था, कुछ सदस्यों ने अपना अंशदान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप उनकी सदस्यता बनाए रखने की दृष्टि से योजना को संशोधित किया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि एक वर्ष की अवधि तक सेवा-विच्छेद के कारण अंशदान न दिए जाने की छूट दी जाए, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि इस बीच सदस्य वे लाभ नहीं उठाता जिनके लिए वह परिवार पैंशन योजना एवं अपने भविष्य निधि संचयों के अन्तर्गत हकदार हैं।

(2) चूँकि उस समय तक लागू उपबन्धों में सेवा-काल में मृत अविवाहितों/कुवांरियों एवं निःसंतान विधवा/विधुरों के आश्रितों को कोई मृत्यु सहायता देने की व्यवस्था नहीं थी अतः ऐसे व्यक्तियों को अपने आश्रितों को कुछ भी लाभ दिए बिना, अपना पूरा अंशदान परिवार पैंशन निधि में छोड़ देना पड़ता था। इसलिए योजना को संशोधित किया गया ताकि सदस्यों के भविष्य निधि संचय के हकदार व्यक्तियों को ऐसे मामले में जीवन बीमा लाभ की एकमुश्त (अर्थात् 1000/- रुपये या सदस्यता आरम्भ होने की आयु पर निर्भर कोई लघुतर राशि) अदायगी की व्यवस्था की जा सके। इसी प्रकार सदस्य को उसके जीवन काल में न दिए गए सेवा निवृति/आहरण लाभ का उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों को भुगतान करने की भी व्यवस्था की गई है जो सदस्य का परिवार न होने पर, उसके भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने का हकदार है/हैं।

(3) हालांकि, परिवार पैंशन की दर निर्धारित है फिर भी परिवार पैंशन योजना में बिना कोई सीमा निर्धारित किए ही, पूरे वेतन पर अंशदान की व्यवस्था है। परिवार पैंशन योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाचारपत्र स्थापनाओं में नियोजित सदस्यों से 1250/- रुपये और अन्य स्थापनाओं के मामले में 1,000/- रुपये प्रति माह तक वेतन पर परिवार पैंशन अंशदान वसूल किया जाए।

परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ का भुगतान

52. परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ केवल तभी दिए जाते हैं जबकि कोई सदस्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवा-काल में मर जाता है और परिवार पेंशन निधि का कम से कम दो वर्षों से सदस्य होता है। चूंकि परिवार पेंशन योजना 1 मार्च, 1971 से लागू हुई, अतः परिवार पेंशन तथा जीवन बीमा लाभ भी अप्रैल, 1973 के पश्चात् ही देय हो गए। बिना किसी कठिनाई और परेशानी के परिवार पेंशन/जीवन बीमा लाभ हिताधिकारियों को मिल सकें, इसके लिए डाक-विभाग से मिलकर ऐसी व्यवस्था की गई है कि डाकघरों के माध्यम से परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा लाभ का संवितरण किया जाए। चूंकि डाक विभाग के डाकघर सारे भारत में हैं, अतः इससे हिताधिकारियों को अपने निवास-स्थान या उसके समीपवर्ती स्थान में परिवार पेंशन/जीवन बीमा लाभ मिलने में सहायता मिलेगी।

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड

53. केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड के सदस्यों की सूची [31-3-1973] को परिशिष्ट 'छ' में दी गई है। श्री पी. एन. नायक, आई. सी. एस. सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, इस वर्ष भी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे।

54. बोर्ड द्वारा इस वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और की गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(क) प्रशासन

(1) बोर्ड ने अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ महासंघ और भारत के प्रगामी भविष्य निधि कर्मचारी महासंघ की कतिपय मांगों की जांच करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है।

(2) बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेवा काल में मृत्यु को प्राप्त होने वाले पूर्ण-कालिक कर्मचारियों को सहायता देने के लिए "अनुकम्पा निधि" स्थापित करने तथा उस निधि के लिए 25000/- रुपयों के प्रारम्भिक आबंटन की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है।

(ख) प्रवर्तन और छूट

(1) बोर्ड ने सिफारिश की है कि 20 से 49 व्यक्तियों को नियोजित करने वाली तथा बिना बिजली के काम करने वाली सहकारी सोसाइटियों पर लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 16 (1) (क) को संशोधित किया जाए।

(2) बोर्ड ने छूट प्राप्त स्थापनाओं पर नियंत्रण के सम्बन्ध में अनेक सुझावों पर विचार किया तथा अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करके यह व्यवस्था की जाए कि भूमि राजस्व के बकाया की वसूली और व्यक्तिक्रमियों और 14-ख पर हर्जाना लगाने की प्रणाली की तरह ही बोर्ड को अन्तरित न की गई राशि की वसूली की जा सके। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि व्यक्तिक्रमी स्थापनाओं की जांच बारम्बार की जानी चाहिए तथा संगठन को वास्तविक सत्यापन द्वारा छूट प्राप्त स्थापना के नाम धारित प्रतिभूतियों की विद्यमानता और/या प्राधिकृत लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र या बैंक द्वारा जारी किए गए प्रतिभूतियों के अभिरक्षा प्रमाणपत्रों इत्यादि जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में भी संतुष्ट होना चाहिए।

(ग) वसूली और अभियोजन

(1) बोर्ड ने अत्यधिक बकाया रकम के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की तथा सरकार से यह अनुरोध किया कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिक निवारक दण्ड उपबन्धों की व्यवस्था के लिए शीघ्रातिशीघ्र यथा-प्रस्तावित विधान बनाया जाए और अभियोजन इत्यादि के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों

को उचित शक्तियां दी जाएं। बोर्ड ने यह भी बांधा प्रकट की है कि 3 माह या उससे अधिक की अवधि के लिए दोषी पाई गई स्थापनाओं के विनिर्माण लाइसेन्सों को रद्द किए जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जाए।

(2) बोर्ड ने बांधा प्रकट की कि सभी राज्य सरकारों से यह कहा जाए कि वे प्राधिकृत नियंत्रकों से यह कहें कि वे स्थापनाओं का प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् अवधि के लिए देय भविष्य निधि अंशदानों को तत्काल ही प्रेषित कर दें और चालू अंशदानों को नियमित रूप से अदा करें तथा प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित बकाया राशि के प्रावस्थाओं में धीरे-धीरे परिसमापन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाएं।

(3) बोर्ड ने निदेश दिया कि पब्लिक सेक्टर स्थापनाओं द्वारा संबद्ध निदेशों का अधिक से अधिक पालन किया जाए, इसके लिए धारा 7-क के अन्तर्गत देयताओं का निर्धारण, अभियोजन और राजस्व वसूली सम्बन्धी कार्यवाइयां अधिक व्यवस्थित रूप से की जाएं।

(घ) निवेश

(1) बोर्ड ने यह इच्छा व्यक्त की कि उसका अध्यक्ष भविष्य निधि संचयों के निवेश की प्रणाली को अधिक उदार बनाने के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार करे जिससे कि संगठन अंशदाताओं के संचयनों पर अधिक ब्याज दे सके।

(2) कम आय अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों से निधि को समुचित समय में अलग करने के लिए बोर्ड ने यह इच्छा व्यक्त की कि कम आय अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों को उच्चतर आय अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का प्रश्न पर वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सरकारी स्तर पर विचार किया जाए ताकि परिवर्तन

के वार्षिक कोटे के 7.5 करोड़ रुपये से बढ़कर कम से कम 15 करोड़ रुपये किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

(ड) पेशगियां

(1) बोर्ड ने कतिपय शर्तों के अध्यधीन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 68-ख के अन्तर्गत पेशगी के लिए भविष्य निधि आयुक्त के पास सम्पत्ति के हक विलेख को जमा करने की अपेक्षाओं को, उन मामलों में, शिथिल करना स्वीकार किया है जिनमें उस मकान के निर्माण या अर्जन या उस मकान-स्थल के क्रम की लागत के आंशिक रूप में, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ति के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त निधियों प्राप्त करने के लिए उस पैरा के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी के पास हक विलेखों को जमा किया गया, बंधक रखा गया मान लिया जाता है ।

(2) बोर्ड ने सिफारिश की है कि पैरा 68-ख के अन्तर्गत गृह निर्माण पेशगी की सुविधा के प्रमाणित दुरुपयोग के मामले में, प्रभारित ब्याज की राशि को, पेशगी के किसी दुरुपयोग का निवारण करने के लिए, सदस्य के लेखे में जमा करने की बजाए, ब्याज उन्नत लेखे में जमा किया जाए ।

(च) दावों का निपटान

बोर्ड ने सिफारिश की कि स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा समाप्ति के मामले में भविष्य निधि संचयों के पूर्ण भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए पैरा 69 (1) को संशोधित किया जाए ।

(छ) विशेष आरक्षित निधि

बोर्ड इससे सहमत था कि सदस्य की मंजूरी से काटी गई राशि को,

जो कि निधि में जमा नहीं की गई हो, निवृत्तिमान सदस्य या उसके नामांकित/उत्तराधिकारी कोवि शेष आरक्षित निधि से भुगतान करने की प्रचलित प्रणाली जारी रखी जाए और निधि के आरक्षण और अधिहरण लेखे से विशेष आरक्षित निधि को 10 लाख रुपयों की और राशि के अंतरित की जाए।

(ज) मृत्यु सहायता-निधि

बोर्ड ने सिफारिश की कि मृत्यु सहायता निधि से दी जाने वाली सुविधाओं को वर्तमान शर्तों व निबंधनों पर 1-4-73 से 2 वर्ष की और आगे अवधि तक, इस तथ्य के बावजूद भी, कि परिवार पेंशन और जीवन बीमा लागू हो जाने पर भी, जारी रखा जाए तथा इस प्रयोजन के लिए आरक्षण व अधिहरण लेखे से मृत्यु सहायता-निधि को 10 लाख रुपये की और राशि अंतरित की जाए। बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि परिवार पेंशन अंशदान पर बिना विचार किए ही मृत्यु निधि से सहायता की राशि का निर्धारण कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में किए गए अंशदान के संदर्भ में किया जाए।

(झ) ब्याज

(1) बोर्ड ने सिफारिश की कि 1973-74 वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि लेखों और स्टाफ भविष्य निधि लेखों (अंशदायी और गैर-अंशदायी) दोनों के लिए ही 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए।

(2) बोर्ड ने यह इच्छा व्यक्त की कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि 6 प्रतिशत की वर्तमान निर्धारित सीमा को, जिससे ऊपर भविष्य निधि खातों के ब्याज के अर्जन पर आय कर के अधिनियम और स्वीकृत भविष्य निधियों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अन्तर्गत कर लगाया जाता है, समुचित रूप से बढ़ाया जाय।

(य) बजट

बोर्ड ने 1972-73 के संशोधित प्राक्कलन और 1973-74 के बजट प्राक्कलन अनुमोदित कर दिए।

(ट) यन्त्रीकरण

सदस्यों को त्वरित और शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से, बोर्ड ने यह निर्णय किया कि महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध लेखों की यांत्रिक व्यवस्था की सुविधा गुजरात क्षेत्र में भी उपलब्ध कराई जाए।

(ठ) प्रचार

बोर्ड ने यह इच्छा प्रकट की कि कर्मचारी भविष्य निधियों और परिवार पेंशन निधि अधिनियम तथा तदाधीन बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत ग्राह्य लाभों के बारे में कामगारों को अधिकाधिक जानकारी देने की दृष्टि से कुछ अधिक निदर्शी व सूचना-प्रद विवरणिकाएं प्रकाशित की जाएं।

क्षेत्रीय समितियां

55. क्षेत्रीय समितियां अपने-अपने राज्यों में योजना के प्रशासन से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देती हैं। इस समय आंध्र-प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए इस प्रकार की समितियां गठित की गई हैं।

56. क्षेत्रीय समितियों द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें/दिए गए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं :

(1) क्षेत्रीय समिति, असम

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 68—ट के अन्तर्गत, सदस्यों को हाई स्कूल, मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले अपने बच्चों के सबन्ध में, दिए जाने वाले परीक्षा शुल्कों के लिए पेशगियों की स्वीकृति की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(2) क्षेत्रीय समिति, बिहार

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 73 को संशोधित किया जाए ताकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क लिए यह आवश्यक हो जाए कि वह लेखे के वार्षिक विवरण नियोजक के माध्यम से भेजे जिसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके नाम निर्देशन प्रपत्र में दिए गए स्थायी पते पर भेजी जाए ।

(3) क्षेत्रीय समिति, दिल्ली

1. कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम की धारा 1(3)(क) और 1(3)(ख) के अन्तर्गत उद्योगों की, विद्यमान अनुसूचियों और स्थापनाओं के वर्गों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा अधिनियम को सभी उद्योगों और स्थापनाओं के वर्गों पर लागू किया जाना चाहिए ।

2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों को भविष्य निधि के विनिधान के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूति समझा जाए ।

(4) क्षेत्रीय समिति, उड़ीसा

योजना में ऐसी निधि की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनकी अन्त्येष्टि के समय आर्थिक सहायता की जा सके ।

5. क्षेत्रीय समिति, पंजाब

व्यक्तिकर्मियों से, विशिष्ट रूप से उनसे, जिन्होंने विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हो और जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दन्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकी, निपटने के लिए अधिनियम में ही कुछ ठोस और शीघ्र दण्डात्मक उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि विवरणियां प्रस्तुत न करने के अपराध के लिए वह 1000/- रुपये तक जुर्माना कर सके।

(6) क्षेत्रीय समिति, तमिलनाडु

1. किसी स्थापना पर योजना लागू होने के लिए नियोजन सीमा 20 से 5 व्यक्ति तक कर दी जानी चाहिए।

2. कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि धारा 1 (3) (क) और 1 (3) (ख) में आने वाले 'नियोजित' शब्द को, किसी एक दिन नियोजन संख्या का समाविष्ट करने के लिए परिभाषित किया जाए।

(7) क्षेत्रीय समिति, उत्तर प्रदेश

1. संगठन के पांच वर्ष की अवधि के लिए हक विलेख को जमा करने से संबन्धित वर्तमान उपबन्ध को समाप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 68-ख को संशोधित किया जाए।

2. निवृत्तमान सदस्य या उसके नामांकित/उत्तराधिकारी को 2000/- रुपये तक भुगतान करने के लिए आरक्षण और अधिहरण लेखे से मनी-आर्डर कमीशन की पूर्ति की जानी चाहिए।

3. परिसमापन कार्यवाही के मामले में भविष्य निधि-राशि के

व्यक्तिक्रम को सरकारी देयताओं व रक्षित ऋणदाताओं से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(8) क्षेत्रीय समिति, पश्चिम बंगाल

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैंशन निधि अधिनियम का संशोधित व अद्यतन प्राधिकृत संस्करण प्रकाशित किया जाना चाहिए।

57. 1972-73 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय समिति की बैठकों का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	बैठक की संख्या	बैठक की तारीख
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	9वीं बैठक	29-4-1972
	10वीं बैठक	3-8-1972
असम	दूसरी बैठक	26-4-1972
बिहार	29वीं बैठक	1-12-1972
दिल्ली	पहली बैठक	3-6-1972
गुजरात	14वीं बैठक	26.7.1972
केरल	10वीं बैठक	28.7.1972
	11वीं बैठक	8.12.1972
मध्य प्रदेश	15वीं बैठक	24.6.1972
	16वीं बैठक	19.9.1972
	17वीं बैठक	28.12.1972

(1)	(2)	(3)
महाराष्ट्र	32वीं बैठक	25.5.1972
	33वीं बैठक	12.1.1973
मैसूर	चौथी बैठक	8.12.1972
	5वीं बैठक	6.3.1973
उड़ीसा	तीसरी बैठक	5.7.1972
	चौथी बैठक	8.12.1972
	5वी बैठक	13.3.1973
पंजाब	8वीं बैठक	4.4.1972
	9वीं बैठक	28.8.1972
	10वीं बैठक	20.2.1973
हरियाणा	9वीं बैठक	28.8.1972
	10वीं बैठक	30.3.1973
राजस्थान	8वों बैठक	11.7.1972
	9वीं बैठक	26.10.1972
	10वीं बैठक	30.3.1973
तमिलनाडु	27वीं बैठक	7.4.1972
	28वीं बैठक	29.8.1972
	29वीं बैठक	4.12.1972
उत्तर प्रदेश	19वीं बैठक	21.7.1972
	20वीं बैठक	15.11.1972

1	2	3
पश्चिम बंगाल	33वीं बैठक	18.4.1972
	34वीं बैठक	22.9.1972
	35वीं बैठक	2.2.1973

58 असम, बिहार, दिल्ली और गुजरात क्षेत्रों में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण क्षेत्रीय समिति की केवल एक ही बैठक आयोजित की जा सकी।

प्रशासन

59. (1) श्री आर. आर. साबू र 15-9-1972 तक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त थे। श्री के. एल. भिंगन ने 16-9-72 से 17-10-72 तक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य किया। श्री वी. एस. देसिका चारी ने 18-10-1972 को केन्द्रीय भविष्य निधि के आयुक्त पद का कार्यभार संभाला तथा वर्ष की शेष अवधि के दौरान भी उसी पद पर कार्य करते रहे।

(2) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्ण-कालिक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रक्षित किए जाते थे।

(3) इस वर्ष संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राधिकृत संख्या 5,525 थी जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल 4,917 ही थी। 31-3-1973 को अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 5,126 थी।

(4) वर्ष के दौरान, अवर श्रेणी लिपिकों व उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों के अनुपात को, वर्तमान अनुपात 2:1 से 1:2 में संशोधित किया गया। अनुपात में इस परिवर्तन के कारण उन्नयन होने वाले कुल 1060 पदों में अवर श्रेणी लिपिकों के 877 पदों का प्रावस्था पद्धति से उच्च श्रेणी लिपिक पदों में उन्नयन किया गया।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सेवा परीक्षा योजना व कर्मचारी विनियमों में लेखा अधिकारियों के पदों पर विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति की व्यवस्था है बशर्ते कि उन्हें कुछ अवधि का पर्यवेक्षण कार्य का अनुभव हो। तदनुसार 10 विभागीय उम्मीदवारों को लेखा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई/अगस्त, 1972 में हुई भाग 1 और भाग 2 परीक्षाओं में क्रमशः 20 और 14 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए।

(6) अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और प्रधान लिपिक के काडरों पर गुणवगुण कोटे के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए दिसम्बर, 1972 में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में 324 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए।

कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर

60. (1) केन्द्रीय कार्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रावस्था कार्यक्रम बनाया गया है। 1972-73 के अंतिम चरण तक, भूमि अर्जन और भवन निर्माण पर लगभग 2 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 1972-73 के दौरान पूंजी निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए व्यय की राशि लगभग 70.00 लाख रुपये है। जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता तब तक प्रत्येक वर्ष में कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए औसतन लगभग 70 से 100 लाख रुपये की राशि नियत करना प्रस्तावित किया है।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र ही पहला क्षेत्र है जहां कानपुर में हमारा अपना कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर हैं। मद्रास, बंगलौर और बम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय भी हाल ही में निर्मित संगठन के अपने निजी भवनों में कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम के कार्यालय भी आंशिक रूप से हमारे निजी भवनों में कार्य कर रहे हैं। तथापि इन दो क्षेत्रों में सभी कार्यालयों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों को भी अंतिम रुप दे दिया गया है।

(3) 1972-73 वर्ष के दौरान चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में कार्यालय भवनों का निर्माण प्रगति पर है । इसी प्रकार मद्रास, हैदराबाद, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में भी स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । हैदराबाद में कार्यालय भवन और दिल्ली में स्टाफ क्वार्टर और इन्दौर में कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के लिए नक्शों व प्राक्कलों को अंतिम रूप दिया गया । जयपुर और अहमदाबाद में कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए भूमि के उपयुक्त प्लाट अर्जित किए गए हैं ।

यंत्रों द्वारा लेखे

61. यंत्रों द्वारा लेखे तैयार करने में किफायत, काम की अधिक निकासी, तीव्रगति यथार्थता और बढ़ी हुई कार्यकुशलता इत्यादि के लाभों को देखते हुए केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने 29 जनवरी, 1970 को हुई अपनी 45वीं बैठक में यह फैसला किया कि महाराष्ट्र क्षेत्र में अपनाई गई यंत्रों द्वारा लेखा-प्रणाली को स्थायी रूप से जारी रखा जाए।

62. यंत्रों द्वारा लेखे तैयार करने की पद्धति से सदस्यों के वार्षिक लेखे सुचारु रुप से तैयार करके जारी करने का कार्य काफी दक्षता से चलता रहा । सदस्यों को त्वरित और दक्ष सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बोर्ड ने यह निर्णय किया कि महाराष्ट्र क्षेत्र में यंत्रों द्वारा लेखे तैयार करने की पद्धति को गुजरात क्षेत्र में भी लागू किया जाए ।

आय और व्यय

63. प्रशासन और उससे संबंधित अन्य व्यय विशेष उगाहियों से पूरा किया जाता है जो प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभारों के नाम से क्रमश: गैर-छूट तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोजकों से सदस्यों के वेतन के 0.37 प्रतिशत तथा 0.09 प्रतिशत की दर से वसूल की जाती हैं ।

64. इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आय में 55.02 लाख रुपए और व्यय में 78.25 लाख रुपए की वृद्धि हुई ।

अधिनियम की व्याप्ति में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी और उसके फलस्वरूप सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि तो स्वाभाविक ही थी परन्तु व्यय में वृद्धि का कारण पिछले वर्ष की तुलना में पूंजी व्यय में अधिकता थी तथा उच्च दर पर अंतरिम सहायता व भत्ते की स्वीकृति और अतिरिक्त स्टाफ के नियोजन के कारण मुख्यतया राजस्व व्यय में वृद्धि हुई।

65. आय और व्यय के वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	1971-72	1972-73
(1) आय		
(क) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार	331.44	383.75
(ख) निवेश पर ब्याज	26.94	30.82
(ग) क्षति	1.58	0.41
	359.96	414.98
(2) व्यय		
(क) राजस्व	253.72	286.33
(ख) पूंजी		
(1) भूमि और भवन	22.50	68.14
(2) पैंशन व उपदान लेखे को अंतरित	5.00	5.00
	281.22	359.47

लेखा परीक्षा

66. जैसा कि प्राय: होता है निधि की बाह्य लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने विभिन्न महा लेखाकारों के माध्यम से कराया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 1968-69 के प्रमाणित लेखे सरकार को भेज दिये गए हैं तथा उन्हें संसद के सभा पटल पर रखा जा चुका है । वर्ष 1969-70 के समेकित लेखों की परीक्षा महालेखाकार केंद्रीय राजस्व द्वारा की जा चुकी है तथा प्रमाणित लेखों की प्रतीक्षा की जा रही है । क्षेत्रीय कार्यालयों के 1970-71 के लेखों की सम्बन्धित महालेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और लेखों का समेकन तथा उसकी लेखा परीक्षा शीघ्र ही महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा किए जाने की सम्भावना है । क्षेत्रीय कार्यालयों के 1971-72 के लेखों की लेखा परीक्षा कुछ महालेखाकारों द्वारा की गई है ।

67. अगस्त, 1966 में आंतरिक लेखा परीक्षा योजना के लागू होने के बाद से इसमें अभी तक क्षेत्रीय कार्यालयों की छ: बार लेखा-परीक्षा पूरी कर ली है तथा उसका सातवां दौर प्रगति पर है । लेखा परीक्षाओं से क्षेत्रों के लेखा दोषों का पता लगा है तथा उसने उन दोषों को दूर करने के सुझाव दिए हैं जिससे कि लेखा प्रणाली में कुछ प्रभावशाली सुधार किए जा सकें ।

निष्कर्ष

68. (1) संगठन के क्रिया-कलापों में निरन्तर वृद्धि होने के बावजूद, वह निधि के सदस्यों को लाभप्रद सेवा उपलब्ध कराने में उच्च दक्षता बनाए रखने में सफल रहा है । संगठन के विविध उपबंधों को अधिक सख्ती से लागू करने के लिए सुदृढ़ प्रयास किए हैं तथा हाल ही में हुए वैधानिक परिवर्तनों व परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 1973 से देय लाभों के भुगतान के कारण आने वाले वर्षों में अधिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए ठोस प्रशासन प्रणाली बनाई है ।

(2) अधिनियम और योजना के विधिक उपबंधों को लागू करने तथा उनके अनुपालन के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, नियोजकों एवं कर्मचारी संगठनों तथा अपने कर्मचारियों से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए बोर्ड उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

वी. एस. देसिका-चारी

सचिव,
केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड।

परिशिष्ट 'क'

उन उद्योगों/स्थापना-वर्गों की सूची जिन पर 31 मार्च, 1973 को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैंशन निधि अधिनियम, 1952 लागू हुआ।

(छूट तथा गैर छूट प्राप्त स्थापनाएं)

लागू करने की तिथि	उद्योग/स्थापना-वर्ग	स्थापनाओं की संख्या	अभिदाताओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1 नवम्बर, 1952 (1 से 6-क तक)	(1) सीमेंट	79	64,535
	(2) सिगरेट	17	15,229
	(3) विद्युत, यांत्रिक या साधारण इंजीनियरी उत्पादन	11,559	12,87,739
	(4) लोहा और इस्पात	248	2,51,654
	(5) कागज़	277	70,768
	(6) कपड़ा पूर्णतः या अंशतः रूई, ऊन या जूट या असली अथवा नकली रेशम का बना हुआ)	4075	12,42,987

(1)	(2)	(3)	(4)
	(6क) जूट	106	2,36,580
31 जुलाई, 1956 (7 से 19)	(7) खाद्य तेल और चर्बी	1,477	54,828
	(8) चीनी	632	2,34,720
	(9) रबड़ और रबड़ की चीज	440	66,892
	(10) बिजली,(जनन, प्रेषण और उसके वितरण को सम्मिलित कर)	790	3,24,263
	(11) चाय (असम राज्य को छोड़कर जहां असम सरकार ने इस उद्योग के लिए, जिसमें चाय बागान भी शामिल हैं, पृथक भविष्य-निधि योजना लागू की है)	776	2,82,603
	(12) मुद्रण, इसमें मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करना, लेटर प्रैस से छपाई, लिथोग्राफी, फोटोग्रेव्योर या इसी		

(1)	(2)	(3)	(4)
	प्रकार के अन्य कार्य या जिल्दसाजी शामिल है, लेकिन समाचार पत्र स्थापनाओं के अन्तर्गत मुद्रणालय शामिल नही हैं, जो श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1965 में परिभाषित हैं।	1,698	77,916
	(13) पत्थर के पाइप	32	3,820
	(14) शौचागार पात्र	22	2,865
	(15) उच्च तथा निम्न वोल्ट वाले विद्युत पोर्सलीन इन्सुलेटर	33	5,510
	(16) ऊष्मसह	83	34,579
	(17) टाइलें	571	31,271
	(18) दियासलाइयां	316	18,012
	(19) कांच	314	33,440

(1)	(2)	(3)	(4)
	टिप्पणी :— 31 मार्च, 1962 तक योजना निम्नलिखित पर लागू नहीं होती थी :— (1) दियासलाई के वे कारखाने जिनका वार्षिक उत्पादन 5 लाख ग्र ुस दियासलाई डिब्बियां या इससे कम था ; (2) चादर कांच और कांच आवरण कारखानों को छोड़कर ऐसे कांच के कार-खाने जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता 600 टन प्रतिमास या इससे कम थी ।		
30 सितम्बर, 1956 (20 से 23)	(20) भारी तथा हल्के रसायन जिनमें ये शामिल हैं :— 1. उर्वरक 2. तारपीन 3. रोजिन 4. चिकित्सा तथा दवाखानों	1696	2,20,112

(1)	(2)	(3)	(4)
	द्वारा तैयार की गई औषधियां		
	5. प्रसाधन सामग्रियां		
	6. साबुन		
	7. स्याहियां		
	8. इंटरमिडिएट, रंग, कलर लेक्स और टोनर्स		
	9. वसीय अम्ल, और		
	10. ऑक्सीजन, एसीटीलिन और कार्बन डाईआक्साइड गैसें (वास्तव में यह अधिनियम इस उद्योग में 31 जुलाई, 1957 से लागू किया गया था)।		
	(21) नील	2	181
	(22) लाख जिसमें चमड़ा भी शामिल है।	27	579
	(23) अखाद्य वनस्पति तथा प्राणी तेल व चर्बी	42	2,157

(1)	(2)	(3)	(4)
31 दिसम्बर,1956	(24) समाचारपत्र स्थापनाएं	261	35,080
31 जनवरी,1957	(25) खनिज तेल शोधनशाला	7	5452
30 अप्रैल, 1957	(26) चाय बागान (असम राज्य में चाय बागान को छोड़कर)	440	1,43,031
	(27) काफी बागान	1,742	47,743
	(28) रबड़ बागान	217	23,900
	(29) इलायची बागान	268	3,532
	(30) कालीमिर्च बागान	—	—
	(30क) मिश्रित बागान	149	20,126
30 नवम्बर,1957 (31 से 37)	(31) लौह अयस्क खानें	196	31,168
	(32) मैंगनीज खाने	229	43,898
	(33) चूना-पत्थर की खानें	132	39,898
	(34) स्वर्ण खानें	2	16,547

(1)	(2)	(3)	(4)
	(35) औद्योगिक और पावर अल्कोहल	31	5,608
	(36) एस्बेस्टॉस सीमेंट चादरें	10	7,987
	(37) काफी सुखाने वाली स्थापनाएं	35	7,531
30 अप्रैल, 1958	(38) बिस्कुट बनाने के उद्योग जिनमें वे एकक भी शामिल हैं जो बिस्कुट और उत्पाद, जैसे डबल रोटी, मिठाइयां व दूध तथा दुग्ध पाउडर का उत्पादन भी करते हैं।	194	15,504
30 अप्रैल, 1959	(39) सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं	1882	2,63,040
31 मई, 1960 40 से 41	(40) अभ्रक उद्योग	149	6,997
	(41) अभ्रक खानें	277	14,318
30 जून, 1960 (42 से 43)	(42) प्लाई वुड	121	15,109
	(43) मोटर गाड़ियों की सर्विस एवं उनकी मरम्मत	764	72,671

(1)	(2)	(3)	(4)
31 दिसम्बर,1960 (44 से 46)	(44) चावल पेषण	2360	33,791
	(45) दाल पेषण	184	2,386
	(46) आटा पेषण	145	7,310
31 मई, 1961	(47) स्टार्च	33	2,587
30 जून, 1961 (48 से 52)	(48) होटल	2,044	49,676
	(49) जलपान गृह	567	11,773
	(50) पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के उत्पादों या पैट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस के संग्रह या परिवहन या वितरण के कार्य में लगी स्थापनाएं	132	23,857
	(51) पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस समन्वेषण, पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग या उत्पादन	24	28,364
	(52) पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का परिशोधन।	2	1,496

(1)		(2)	(3)	(4)
31 जुलाई, 1961 (53 से 53)	(53)	सिनेमा जिनमें पूर्वेक्षण रंगशालायें भी शामिल हैं ।	1.341	26,072
	(54)	फिल्म स्टुडियो	47	4,666
	(55)	फिल्म उत्पादन संस्थायें	46	2,280
	(56)	उद्भाषित फिल्मों का वितरण करने वाली संस्थायें	77	1,845
	(57)	फिल्म प्रोसैसिंग प्रयोग-शालायें	19	1,262
31 अगस्त, 1961	(58)	चमड़ा व चमड़े की वस्तुयें	568	26,019
30 नवम्बर, 1961 (59 से 60)	(59)	पत्थर के मर्तवान	28	2,589
	(60)	चीनी मिट्टी के बर्तन	50	5,066
31 दिसम्बर, 1961	(61)	गन्ने का प्रत्येक ऐसा फार्म जिसका स्थायी या दखलदार किसी चीनी मिल का मालिक या दखलदार हो या जिसकी		

(1)	(2)	(3)	(4)
	खेती उस मालिक या दखलदार या उसकी ओर से किसी और व्यक्ति द्वारा की जाती हो।	30	3,406
30 अप्रैल, 1962	(62) किसी भी वस्तुओं के क्रय-विक्रय और संग्रह के कार्य में लगी व्यापारिक और वाणिज्यिक स्थापनायें, जिनमें निर्यातकर्त्ताओं, आयातकर्त्ताओं, विज्ञापनदाताओं, कमीशन एजेन्टों, या दलालों की स्थापनाए और शेयर बाजार शामिल हैं, लेकिन जिनमें किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित बैंक या भंडागार शामिल नहीं हैं।	7,549	4,84,860
30 जून, 1962	(63) फल और सब्जी परिरक्षण	101	8,103
30 दिसम्बर, 1962	(64) काजू	244	82,434
31 अक्तूबर, 1962	(65) लकड़ी को उपयोगी बनाने		

(1)	(2)	(3)	(4)
—	और उसके कार्य में लगी स्थापनायें, हार्ड बोर्ड या चिप बोर्ड बनाना, जूट या कपड़ा उद्योगों में काम आने वाली वस्तुयें, कार्क की वस्तुयें, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का बना खेल का सामान, बेंत या बांस की बनी वस्तुयें और लकड़ी के बैटरी सेपरेटर्स शामिल हैं।	375	11,176
	(66) आरा मिलें	638	14,729
	(67) लकड़ी बनाने के भट्टे	2	319
	(68) लकड़ी परिरक्षण संयंत्र	2	32
	(69) लकड़ी का कारखानें	288	8,398
31 दिसम्बर,1962	(70) बाक्साइट खानें	23	2,308
31 मार्च, 1963	(71) मिठाई उद्योग	78	1,465
30 अप्रैल, 1963 (72 से 76)	(72) लांड्री एवं लांड्री सेवायें	175	5,182

(1)	(2)	(3)	(4)
	(73) बटन उद्योग	19	674
	(74) ब्रुश	25	1,098
	(75) प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तुयें	496	20,060
	(76) लेखन सामग्रियां	76	4,101
31 मई, 1963 (77 से 79 तक)	(77) रंगशालाएं जहां नाटक या अन्य प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम ग्रायोजित किए जाते हैं ग्रौर जिनमें प्रवेश पाने के लिए दर्शकों या श्रोताग्रों को पैसा देना पड़ता है।	19	430
	(78) समितियां, क्लब या एसोसिएशन जो ग्रपने सदस्यों या उनके अतिथियों के लिए पैसे लेकर उनके रहने या खाने ग्रथवा दोनों या उनके मनोरंजन की सुविधाग्रों की व्यवस्था करते हैं।	214	9,881

(1)	(2)	(3)	(4)
	(79) कम्पनियों, सोसाइटियों, एसोसिएशन, क्लब या मंडलियां जो गोलाकार या अन्य प्रकार के मनोरंजन स्थलों में नट कलाबाजियां या अन्य तमाशे या दोनों जो रंगशाला के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर किसी भी प्रकार के ऐसे तमाशों या मनोरंजन का आयोजन करती हैं या करने की अनुमति देती है, जिनमें दर्शक या श्रोता के रूप में जाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं।	39	2,269
31 अगस्त, 1963 (80 से 81 तक)	(80) कैंटीनें	202	6,316
	(81) बालित जल, हल्के पेय तथा कार्बनेटिड जल	87	6,259
31 अक्तूबर 1963	(82) स्पिरिटों का आसवन और परिशोधन (जो	22	1,28

(1)	(2)	(3)	(4)
	औद्योगिक तथा पावर एल्कोहल के अन्तर्गत नही है, और स्पिरिटों का समिश्रण ।		
31 जनवरी, 1964 (83 से 86)	(83) रोगन तथा वार्निश	76	7,597
	(84) हड्डी का चूरा	60	2,622
	(85) पिक्कर्स	10	271
	(86) चीनी मिट्टी की खानें	38	3,036
31 अक्तूबर, 1964 (87 से 92)	(87) अटार्नी जिनकी परिभाषा एडवोकेट अधिनियम, 1961 (1961 का 25वां) में दी गई है ।	43	1,759
	(88) सनदी या रजिस्टर्ड लेखाकार जिनकी परिभाषा सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949	55	2,365

(1)	(2)	(3)	(4)
	(1949 का 38वां) में दी गई है।		
	(89) लागत और निर्माण कार्य लेखाकार जिनकी परिभाषा लागत और निर्माण लेखाकार अधि-नियम, 1959 (1959 का 23वां) में दी गई है।	—	—
	(90) इंजीनियर और इंजी-नियरिंग ठेकेदार जो केवल भवन और निर्माण उद्योगों में नहीं लगे हैं।	182	6,741
	(91) वास्तुकार	42	1,223
	(92) चिकित्सा व्यवसायी तथा चिकित्सा विशे-षज्ञ।	130	[3,486
31 दिसम्बर 1964	(93) दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं	146	22,159
31 जनवरी, 1965 (94 से 96)	(94) यात्रा एजेंसियां जो निम्नलिखित कार्य करती हैं :— 1. अन्तर्राष्ट्रीय वायु और	70	2,069

31

(1)	(2)	(3)	(4)
	समुद्री यात्राएं बुक करना और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रबन्ध करना ;		
	2. अन्र्देशीय हवाई यात्राएं और डाक बुक करना और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रबन्ध करना; और		
	3. विदेशों से आने वाले विदेशों को जाने वाले, और भारत के अन्दर माल उठाना और भेजना।		
	(95) माल प्रेषण एजेंसियां जो किसी भी प्रकार का माल एकत्र करने, पैक करने, भेजने या पहुंचाने का काम करती हैं जिनमें कार लदाई, माल उतराई और विदेशी-माल-भाड़ा सेवाकार्य भी शामिल है।	109	5,650
	(96) अलौह धातुएं और पिंड के रूप में मिश्रित धातुएं।	25	10,327
31 मार्च, 1965	(97) डबल रोटी	62	2,812

(1)	(2)	(3)	(4)
30 जून, 1965	(98) तम्बाकू पत्तियों को आल देना, सुखाना, संभालना, छांटना, कोटि-निर्धारण और पैक करना।	324	90,950
31 जुलाई, 1965	(99) अगरबत्ती जिसमें धूप और धूप वत्ती भी शामिल हैं।	129	3,661
31 अगस्त, 1965	(100) मैगनेसाइट खानें	3	223
30 सितम्बर, 1965	(101) नारियल जटा (कताई क्षेत्र को छोड़कर)	54	3,570
31 दिसम्बर, 1965	(102) अश्मखनि जिनसे छत और फर्श के लिए लिए शिलाएं, विमित्तीय पत्थर, स्मारक पत्थर तथा मौजक चिप्स तैयार की जाती है।	59	1,611
31 जनवरी, 1964	(103) बैंक जो एक ही राज्य या संघक्षेत्र में व्यापार करता है और किसी अन्य राज्य तथा संघ-क्षेत्र में जिसकी	434	55,438

(1)	(2)	(3)	(4)
—	कोई शाखा या विभाग नहीं है ।		
30 जून, 1966	(104) तम्बाकू उद्योग जिसमें ऐसे सभी उद्योग आते हैं जो कि सिगार, जर्दा, नसवार, किवाम, और गुराकू बनाने में संलग्न हैं ।	321	4,184
31 जुलाई, 1966	(105) कागज से बनी वस्तुएं	126	6,781
30 सितंबर,1966	(106) अधिकृत नमक	192	6,899
30 अप्रैल, 1967	(107) लिनोलियम	1	495
(107 से 108)	(108) इंडोलियम	—	—
31 जुलाई, 1967	(109) विस्फोटक	48	11,325
31 अगस्त, 1967	(110) जूट की गाठें बनाना और प्रेस करना ।	29	653
31 अक्तूबर, 1967	(111) पटाखे और परकशन कैप वर्क्स	56	1,393
30 नवम्बर, 1967	(112) टैन्ट बनाने वाला उद्योग ।	16	262
31 अगस्त, 1968 (113 से 119)	(113) बेराइटिस खानें	12	400

(1)	(2)	(3)	(4)
	(114) डोलोमाइट खानें	13	352
	(115) अग्नि मिट्टी खानें	10	241
	(116) जिप्सम खानें	8	368
	(117) कायनाइट खानें	4	803
	(118) सिल्लीमिनाइट खानें	—	—
	(119) स्टियटाइट खानें	30	987
31 दिसम्बर, 1968	(120) सिंकोना बागान	15	5,063
30 अप्रैल,1969	(121) फैरो-मैंगनीस	6	1,136
30 जून, 1969 (122 से 123)	(122) बरफ या आइसक्रीम	46	919
	(123) हीरे की खानें	1	201
31 जनवरी, 1970	(124) सामान्य बीमा व्यापार	91	12,579
31 मई, 1971	(125) ऐसी स्थापनाएं जो कारखानों और स्थापनाओं कोक तिपय उन शर्तों पर जिन पर स्थापना और विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करवाने वाले स्थापना के बीच करार हो जाये, विशेषज्ञों की सेवाएं	35	1,475

30

(1)	(2)	(3)	(4)
	जैसे कार्मिक भेजना, घरेलू और विभागीय जांच के सम्बन्ध में सलाह देना, उठाईगिरी, चोरी, जातिवाद और वेतनपत्रक की अनियमितताओं को दूर करने के सम्बन्ध में विशेष सेवायें उपलब्ध करवाते हैं ।		
30 नवम्बर,1971 (126)	सूत तथा धागे लपेटने के कार्य में संलग्न कारखाने ।	14	449
31 मार्च, 1972 (127)	ठेकेदारों अथवा प्राइवेट स्थापनाओं द्वारा कमीशन के आधार पर संचालित रेलवे बुकिंग एजेंसियां	8	20
30 सिबम्बर, 1972(128)	रुई की ओटाई, उसकी गाठें बनाना और प्रेस करना ।	665	11,947

(1)	(2)	(3)	(4)
31 मार्च, 1973	(129) सैनिक मैस को छोड़कर अन्य प्रत्येक मैस ।	—	—
	स्वेच्छा के आधार पर	2,352	1,08,183
		56,939	66,92,887

परिशिष्ठ 'ख'

स्थापनाओं और अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या दिखाने वाला 31 मार्च, 1973 तक का विवरण :

क्षेत्र	कारखानों/स्थापनाओं की संख्या			अभिदाताओं की संख्या		
	छूट प्राप्त	गैर छूट प्राप्त	कुल	छूट प्राप्त	गैर छूट प्राप्त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	83	3,319	3,402	85,844	2,75,765	3,61 609
असम	38	520	558	26,770	25,835	52,605
बिहार	127	1,534	1,661	1,80,308	1,09,944	2,89,952
दिल्ली	139	2,754	2,893	1,22,253	1,14,489	2,36,742
गुजरात	94	4,180	4,274	1,64,686	2,55,221	4,19,907
केरल	46	2,653	2,699	30,007	3,19,303	3,49,310

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्य प्रदेश	40	1,601	1,641	1,81,707	1,40,189	3,21,896
महाराष्ट्र (जिसमें गोवा शामिल है)	430	9,655	10,085	4,52,437	7,59,359	12,11,796
मैसूर	88	4,131	4,219	1,99,892	1,70,737	3,70,629
उड़ीसा	21	894	915	54,240	1,04,231	1 58,471
पंजाब और हरियाणा (जिसमें हिमांचल प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं)	70	3,375	3,445	40,558	1,64,384	2,04,942
राजस्थान	46	967	1,013	34,468	62,288	96,756
तमिलनाडु (जिसमें पोण्डिचेरि शामिल है)	336	7,581	7,917	1,64,745	5,37,760	7,02,505

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तर प्रदेश	143	3,717	3,860	1,25,552	4,23,655	5,49,207
पश्चिम बंगाल (जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह शामिल हैं)	729	7,628	8,357	6,12,696	7,53,864	13,66,560
कुल :—	2,430	54,509	56,939	24,76,163	42,16,724	66,92,887

परिशिष्ट 'ग'

उन छूट प्राप्त स्थापनाओं के नामों का विवरण जिनको 31 मार्च, 1973 तक निधि की एक लाख रुपये या इससे अधिक रकम अपने सम्बंधित बोर्डों और न्यासधारियो को भविष्य निधि अंशदान के रुप में चुकाना बाकी थी।

क्रम संख्या	स्थापना का नाम	न्यासी बोर्डों को हस्तांतरित नहीं की गई राशि (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
	1. आन्ध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद एल्विन मैटल वर्क्स लि., सनत नगर, हैदराबाद।	4.12
2.	हैदराबाद कैमिकल्ज़ एण्ड फर्टिलाइजर्स, बशीर बाग, हैदराबाद।	1.38
		5.50
	2. बिहार	
3.	कुमारधुबी इंजीनियरिंग कं. लि.	1.34
4.	रोहतास इन्डस्ट्रीज लि., डालमियां नगर, रोहतास।	2.01
		3.35

(1)	(2)	(3)
	3. दिल्ली	
5.	दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।	97.60
6.	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान, सैन्ट्रल पावर हाउस, राजघाट, नई दिल्ली ।	2.85
7.	गणेश फ्लोर मिल्स, सब्जी मंडी, दिल्ली ।	6.56
		107.01
	4. कर्नाटक	
8.	रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल्ज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बंगलौर	1.30
		1.30
	5. केरल	
9.	केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम्	3.53
		3.53
	6. मध्य प्रदेश	
10.	बिनोद मिल्स कं. लि., उज्जैन ।	21.89

(1)	(2)	(3)
11.	जावरा शुगर मिल्स कं लि., जावरा।	1.57
12.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लि., बुरहानपुर।	6.00
		29.46

7. महाराष्ट्र

(1)	(2)	(3)
13.	श्री सीताराम मिल्स लि., चिन्चपोकली, बम्बई-11।	1.53
14.	दादाजी ढाकाजी कं. प्रा. लि., (मोटर विभाग), श्री पंत भवन, सैंडहर्स्ट ब्रिज, बम्बई-7	3.16
15.	पूलगांव काटन मिल्स लि., पूलगांव, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	18.51
16.	वैस्टर्न इण्डिया स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं. लि., दत्ताराम लाड पथ, काला चौकी, बम्बई-33	4.56
17.	मैसर्स एलिफस्टोन स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लि., बंबई।	1.88
18.	एल्काक ऐशडॉन एण्ड कं. लि., डिफैन्स वर्क्स, मज़गांव, बंबई-10	2.47

(1)	(2)	(3)
19.	हिन्द साइकिल्स लि., 250-वरली, डाकखाना प्रभादेवी, बंबई ।	18.50
20.	गनन डंकरले एण्ड कं. लि., चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, फोर्ट बंबई ।	1.46
21.	हिन्दुस्तान वायर नैटिंग कं. प्राइवेट लि., आगरा रोड, थाना, महाराष्ट्र	1.35
		53.42
	8. पंजाब	
22.	दी पंजाब स्टेट कोग्रापरेटिव बैंक लि., चंडीगढ़ ।	2.09
		2.09
	9. तमिलनाडु	
23.	श्री मीनाक्षी ग्रुप ग्राफ मिल्स लि., मदुरै (निम्नलिखित तीन यूनिट)	17.39
	1. श्री मीनाक्षी मिल्स लि. मदुरै	
	2. थियाकेशर आलय, त्रिची	
	3. श्री मीनाक्षी मिल्स लि., परवै यूनिट, जिला मदुरै	
		17.39

(1)	(2)	(3)
	10. उत्तर प्रदेश	
24.	रजा बुलंद शुगर कं. लि., रामपुर	2.67
25.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून	7.37
26.	भारत हैवी इलैटिकल्ज लि., रानीपुर, हरिद्वार	3.57
		13.61
	11. पश्चिम बंगाल	
27.	अलैक्ज़ेन्डर जूट मिल्स लि., टीटागढ़, 24 परगना।	14.43
28.	ब्रिटानिया इंजीनियरिंग लि., टीटागढ़, 24 परगना।	20.71
29.	काल्विन जूट कं. लि., तालपुकुर, 24 परगना,	43.00
30.	किन्नीसन जूट मिल्स लि., टीटागढ़, 24 परगना।	2.50
31.	एम्पायर जूट कं. लि. टीटागढ़, 24 परगना।	2.54
32.	ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., टीटागढ़, 24 परगना।	2.00

(1)	(2)	(2)
33.	इन्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कं. लि., बुरहानपुर, आसनसोल	7.50
34.	बर्न एण्ड कं. लि., 12, मिसन रोड, कलकत्ता-1	5.00
35.	खर्दा कं. लि., 7 वैलेजली प्लेस, कलकत्ता।	14.39
36.	टीटागढ़ पेपर मिल्स लि., चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता।	8.00
37.	रामनगर, केन एण्ड शुगर कं. लि., रामनगर, प्लासी।	1.55
38.	एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग क. (प्राईवेट) लि., 2, जैसोर रोड, दमदम, कलकत्ता-28।	14.55
39.	कन्टैनर्स एण्ड क्लोजर्स लि., डाकखाना गरिफा, 24 परगना।	1.09
40.	सैक्सबी फार्मर (इण्डिया) लि., 17 कान्वेन्ट रोड, कलकत्ता-14	13.00
41.	ब्रैथवेट एण्ड कं. (इण्डिया) लि., हाइड रोड, कलकत्ता-43	55.00
42.	भारत ओवरसीज प्रा. लि., 18, रविन्द्र सरणि, कलकत्ता।	1.82

(1)	(2)	(3)
43.	रोबर्ट मैक्लीन एंड कं. लि., 2, ब्रैबोर्न रोड कलकत्ता-1 ।	1.11
44.	श्री अम्बिका जूट मिल्स लि., बैलूरमठ, हावड़ा ।	2.90
45.	नस्करपाड़ा जूट मिल्स, चक्कासी, हावड़ा ।	1.49
46.	बंगाल पॉटरिज लि., 45, टैंगड़ा रोड़, कलकत्ता-15	23.00
47.	स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट एण्ड कं. 18, कान्वेन्ट रोड, कलकत्ता-14	4.25
48.	इन्डिया हार्ड मैटल (प्रा.) लि., 49/1 गरियाहाट रोड, कलकत्ता-19	1.26
49.	नेशनल कंपनी लि. संकरैल, हावड़ा ।	44.96
50.	प्रेमचन्द जूट मिल्स, चंगैल, हावड़ा ।	13.35
51.	हावड़ा आयरन वर्कस, 20, नित्याधान मुखर्जी रोड, हावड़ा ।	34.24
52.	दी हुगली डोकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि., मार्टिन बर्न हाउस, 12, मिशन रोड, कलकत्ता ।	18.15

(1)	(2)	(3)
53.	ईस्ट बंगाल इंजीनियरिंग वर्क्स, 2, रूस्तमजी पारसी रोड, काशीपुर, कलकत्ता-3 ।	4.10
54.	दी न्यू इण्डियन ग्लास वर्क्स प्रा. लि., 2, ऋषि बंकिम चन्द्र रोड, दमदम कैन्ट, कलकत्ता ।	1.04
55.	मोहिनी मिल्स लि., बेलघरिया, 24 परगना ।	3.18
56.	अमृत बाजार पत्रिका लि., 14, आनन्द चटर्जी लेन, कलकत्ता-1 ।	2.75
57.	ओरियन्टल मैटल डिस्ट्रीब्यूटर्स लि., 67, बी. बी. गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता ।	1.18
58.	धुतूरिया टी स्टट, दार्जिलिंग	1.20
59.	गंगा प्रिंटिंग इंक फैक्टरी लि., गिलैण्डर हाउस, ब्लाक एफ-3, 8, एन. एस. रोड, कलकत्ता ।	2.67
60.	श्री दुर्गा काटन एण्ड वीविंग मिल्स लि., 135 कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1	4.53
		372.44
	कुल जोड़	609.10

परिशिष्ट 'घ'

वे उद्योग/स्थापनायें जिनके सम्बंध में विधिक दर वेतन के 8 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है ।

टिप्पणी :—यह बढ़ी हुई दर उन उद्योगों/स्थापनाओं पर लागू होती है जहां 50 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों ।

लागू करने की तिथि	ऊद्योग/स्थापना वर्ग
(1)	(2)
पहली जनवरी, 1963 से (1 से 4 तक)	1. सिगरेट;
	2. विद्युत यांत्रिक ओर सामान्य इंजीनियरी उत्पादन;
	3. लोहा और इस्पात;
	@4. कागज, हाथ के बने कागज को छोड़कर;
पहली अप्रैल, 1963 से	5. सीमेंट;
पहली नवम्बर, 1963 से (6 से 23 तक)	$6. कपड़ा पूर्ण या आंशिक रूप से नकली रेशम या ऊन से बना;
	7. दियासलाई;
	$8. खाद्य तेल और चर्बी, वनस्पति को छोड़कर;
	9. रबड़ और रबड़ से बनी वस्तुएं;
	10. बिजली, (जनन, प्रेषण और उसके वितरण को सम्मिलित कर);

(1)	(2)
	11. चाय;
	12. मुद्रण (समाचार पत्रों के मुद्रण से सम्बन्धित उन उद्योगों को छोड़कर जिनकी परिभाषा श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 में दी गई है) इसमें मुद्रण के के लिए टाइप, कम्पोज करना, लेटर प्रैस से छपाई, लिथोग्राफी, फोटोग्रव्योर या इसी प्रकार के अन्य काम या जिल्दबन्दी शामिल है;
	13. कांच;
	14. पत्थर के नल;
	15. शौचागर पात्र;
	16. उच्च और निम्न वोल्ट विद्युत पोर्सलीन इन्सूलेटर;
	17. ऊष्पसह;
	18. टाइलें;
	19. भारी और हल्के रसायन जिनमें उर्वरक शामिल नहीं हैं लेकिन निम्नलिखित शामिल हैं :—
	(क) तारपीन;

(1)	(2)
	(ख) रोजिन;
	(ग) दवाइयां और दवाखानों में बनी औषधियां;
	(घ) प्रसाधन सामग्रियां;
	(ङ) साबुन;
	(च) स्याहियां;
	(छ) इंटरमीडिएट, रंग, रोगन, कलर लेक्स और टोनर्स;
	(ज) वसीय अम्ल, और
	(झ) आक्सीजन, एसीटीलीन और कार्बन-डाई-ऑक्साइड गैसें।
	20. नील;
	21. अखाद्य वनस्पति और प्राणी तेल तथा चर्बी;
	22. खनिज तेल परिशोधन;
	23. समाचार-पत्र स्थापनाएं;
पहली दिसम्बर, 1963 से	§24. कपड़ा (पूर्ण या आंशिक रुप से रुई का बना हुआ है);

(1)	(2)
	37. मोटर गाड़ियों की मरम्मत तथा सफाई उद्योग;
	38. चावल प्रेषण;
	39. दाल प्रेषण;
	40. आटा प्रेषण;
	41. सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं;
पहली अगस्त, 1966 से	42. चीनी;
पहली जनवरी, 1967 से (43 से 56 तक)	43. होटल;
	44. जलपान गृह;
	45. पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस उत्पादन अथवा पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के संग्रह या परिवहन या वितरण के कार्य में लगी स्थापनाएं;
	46. सिनेमा जिनमें पूर्वेक्षण रंगशालाएं भी शामिल हैं;
	47. फिल्म स्टूडियो;
	48. फिल्म उत्पादन की व्यापारिक संस्थाएं;
	49. उद्भावित फिल्मों के वितरण की व्यापारिक संस्थाएं;

(1)	(2)
	50. फिल्म प्रोसैसिंग प्रयोगशालाएं;
	51. गन्ने का प्रत्येक ऐसा फार्म जिसका मालिक किसी चीनी मिल का मालिक या दखलदार हो या जिसकी खेती उस मालिक या दखलदार या उसकी ओर से किसी और व्यक्ति द्वारा की जाती हो;
	52. स्टार्च;
	53. पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की खोज, पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग या उत्पादन;
	54. चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुयें;
	55. पत्थर के मर्तबान;
	56. चीनी मिट्टी के बर्तन;
पहली जुलाई, 1967 से (57 से 73 तक)	57. किसी भी वस्तु के क्रय-विक्रय और संग्रह के कार्य में लगी व्यापारिक और वाणिज्यिक स्थापनायें, जिनमें निर्यात-कर्त्ताओं, आयातकर्त्ताओं, विज्ञापन-दाताओं, कमीशन एजेंटों और दलालों की स्थापनायें तथा पण्य और स्टाक एक्सचेंज शामिल हैं, लेकिन जिनमें केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित बैंक या भंडागार शामिल नहीं हैं।

(1)	(2)
	58. लकड़ी को उपयोगी बनाने और उसके शोधन कार्य में लगी स्थापनायें जिनमें हार्डबोर्ड या चिपबोर्ड, जूट तथा कपड़ा उद्योगों में काम आने वाला लकड़ी का सामान, कार्क की वस्तुएं, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का बना खेल का सामान बेंत या बांस की बनी वस्तुयें और लकड़ी के बैट्री सैपरेटर्स शामिल हैं ;
	59. आरा मिलें;
	60. लकड़ी सिझाने के भट्ठे;
	61. काष्ठ परीक्षण संयन्त्र;
	62. लकड़ी के कारखाने;
	63. बॉक्साइट की खानें;
	64. धुलाई उद्योग और धुलाई सेवायें ।
	65. रंगशालाएं जहां नाटक या अन्य प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और जिनमें प्रवेश पाने के लिए दर्शकों या श्रोताओं को पैसे देने पड़ते हैं ; किसी भी
	66. सोसाइटियां, क्लब या एसोसिएशन जो अपने सदस्यों या उनके अतिथियों के लिए पैसे लेकर उनके रहने या खानें

(1)	(2)
	अथवा दोनों या उनके, मनोरंजन की सुविधाएं जुटाती हैं।
	67. कंपनियां, सोसाइटियां, एसोसिएशन, क्लब या मंडलियां जो गोलाकार या अन्य प्रकार के मनोरंजन–स्थलों में नट-कला-बाजियां या अन्य तमाशे या दोनों को दिखाने का काम करती हैं या जो रंग-शाला के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के ऐसे तमाशों या मनोरंजनों का आयोजन करती हैं या करने की अनुमति देती हैं जिसमें दर्शक या श्रोता के रूप में जाने के लिए लोगों को पैसे देनें पड़ते हैं;
	68. फल तथा सब्जी परीरक्षण उद्योग जो निम्नलिखित वस्तु बनाने तथा तैयार करने में संलग्न है :—
	(1) डिब्बों तथा बोतलों में बंद रस तथा लुगदी;
	(2) डिब्बों तथा बोतलों में बंद सब्जियां;
	(3) जमे हुए फल तथा सब्जियां;
	(4) जैम, जैली और मामलेड्स ;
	(5) टमाटर से बनी हुईवस्तुएं, कैचअप तथा चटनी;

(1)	(2)
	(6) रसों के शर्बत, रस, उत्तेजक पेय, झट तैयार होने वाले बैवरिजिज़ जिनमें फलों के रस या लुगदी हो;
	(7) परिरक्षित फल और फलों एवं उनकी फाकों के अचार और मुरब्बे;
	(8) चटनियां;
	(9) अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु जिनका सम्बन्ध फल और सब्जियों के परिरक्षण तथा डिब्बों में बन्द करने से हो;
	69. मिठाई उद्योग;
	70. बटन उद्योग;
	71. ब्रुश उद्योग;
	72. प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं;
	73. लेखन सामग्रियां;
पहली जनवरी, 1969 से (74 से 83 तक)	74. अटार्नी जिनकी परिभाषा एडवोकेट अधिनियम, 1961 (1961 का 25वां) में दी गई है;
	75. सनदी या पंजीकृत लेखाकार जिनकी

(1)	(2)
	परिभाषा सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 का 38वां) में दी गई है;
	76. लागत और निर्माणकार्य लेखाकार जिनकी परिभाषा लागत और निर्माण-कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23वां) में दी गई है;
	77. इंजीनियर और इंजीनियरिंग ठेकेदार जो केवल भवन और निर्माण उद्योगों में ही नहीं लगे हैं;
	78. वास्तुकार;
	79. बालित जल, हल्के पेय तथा कार्बनेटिड जल;
	80. स्पिरिटों का आसवन तथा परिशोधन (जो औद्योगिक तथा पावर एल्कोहल के अन्तर्गत नहीं है और स्पिरिटों का सम्मिश्रण) ;
	81. रोगन तथा वार्निश;
	82. पिक्कर्स;
	83. दूध तथा दूध से बनी वस्तुए ;
पहली फरवरी, 1970 से (84 से 85 तक)	@84. कागज, हाथ से बना कागज;
	85. खाद्य तथा चर्बी वनस्पति ;

(1)	(2)
पहली मार्च, 1970 से	§86. पूर्णतः या आंशिक रूप से पटसन से बने कपड़े;
पहली मार्च, 1970 से (87 से 92 तक)	87. यात्रा एजेंसियां जो निम्नलिखित कार्य करती हैं :— i) अन्तर्राष्ट्रीय वायु और समुद्री यात्राएं बुक करना और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रबन्ध करना; ii) अन्तर्देशीय हवाई यात्राएं और डाकबुक करना और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रबन्ध करना; और iii) विदेशों से आने वाले, विदेशों को जानें वाले और भारत के अन्दर, माल उठाना और भेजना ।
	88. माल प्रेषण एजेंसियां जो किसी प्रकार का माल एकत्र करने, पैक करने, भेजने या पहुंचाने का काम करती है और जिनमें कार लदाई, माल उतराई और विदेशी माल-भाड़ा सेवाकार्य भी शामिल है;
	89. मैंगनेसाइट खानें ;
	90. अश्मखनि जिनसे छत और फर्श के लिए शिलाएं, विमित्तीय पत्थर, स्मारक पत्थर तथा मौज़ैक चिप्स तैयार की जाती हैं ;

(1)	(2)
	91. अलौह धातुएं और पिंड के रुप में मिश्रित धातुएं ;
	92. अगरबत्ती (जिसमें धूप और धूपबत्ती भी शामिल हैं) ;
28 फरवरी, 1973 से (93 और 94 तक)	93. अभ्रक के कारखाने;
	94. अभ्रक की खानें;

टिप्पणी :— §ये परिशिष्ट 'क' के मद (6) में उल्लिखित उद्योग के अंग हैं।

@यह परिशिष्ट 'क' के मद (5) में उल्लिखित उद्योग का अंग है।

$यह परिशिष्ट 'क' के मद (7) में उल्लिखित उद्योग का अंग है।

इस तरह बड़ी हुई दर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले 89 उद्योगों/स्थापना—वर्गों पर लागू की जा चुकी हैं।

परिशिष्ट 'ङ'

उन गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरेवार विवरण जिनको 31 मार्च, 1973 तक निधि की एक लाख रुपये या इससे अधिक रकम (जिनमें भविष्य निधि अंशदान, प्रशासनिक प्रभारों तथा दण्डस्वरूप हर्जानें शामिल है) चुकाना बाकी थी।

क्रमांक	स्थापना का नाम	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मचिलिपट्टनम्, कृष्णा जिला।	11.62
2.	आजमजही मिल्स लिमिटेड, वारंगल।	16.58
3.	तिरुपति काटन मिल्स, रेणिगुन्टा, चिट्टूर जिला।	5.34
4.	फैरो अलायड कार्पोरेशन, श्रीरामनगर, श्रीकाकुलम।	1.46
5.	कृषि इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड।	1.49
6.	वेंकटाचलपति मिल्स लिमिटेड।	2.19
7.	आर. बी. एस. एस. डी. एण्ड एफ. एन. दास, श्रीरामनगर, श्रीकाकुलम जिला।	1.15
		39.83

(1)	(2)	(3)
	असम	
8.	एसोशिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, पी· ओ· चन्द्रपुर, कामरूप ।	1.43
9.	असम सिलीमिनाइट लिमिटेड, गोहाटी	3.28
		4.71
	बिहार	
10.	मैसर्स राय बहादुर हरदत्तराय, मोतीलाल जूट मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कटिहार, पूरनिया ।	18.67
11.	मैसर्स टाटानगर फाउंडरी कम्पनी लिमिटेड, टाटानगर	5.24
12.	मैसर्स रिलायंस फायर-ब्रिक्स एण्ड पॉटरी कंपनी लिमिटेड, धनबाद	4.97
13.	मैसर्स शालीमार तार प्रोडक्ट्स (1935) लिमिटेड, झरिया, धनबाद	5.51
14.	मैसर्स खंडेलवाल ग्लास वर्क्स, पी. ओ. अम्बोना, धनबाद	1.36
15.	मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड, हजारीबाग	2.53

(1)	(2)	(3)
16.	सी. एम. आई. लिमिटेड, हजारीबाग की डोमेहंच माइका फैक्टरी	5.81
17.	मैसर्स इंडिया फायर-ब्रिकस एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड, हजारीबाग	3.27
18.	मैसर्स विहार शूगर वर्क्स (पचरुखी), सारन	10.12
19.	नैसर्स शीतलपुर शुगर वर्क्स, मुजफ्फरपुर	2.14
20.	मैसर्स बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना	1.45
21.	मैसर्स गया टेक्सटाइल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, गया	3.13
22.	मैमर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना।	5.73
23.	मैसर्स सी. एम. आई. लिमिटेड, हजारीबाग की तीसरी माइका फैक्टरी।	2.06
		71.99

(1)	(2)	(3)
	दिल्ली	
	—कुछ नहीं—	
	गुजरात	
24.	महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, भावनगर	6.77
25.	केशव मिल्स लिमिटेड, पेटलाड	3.96
26.	अनंत मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	4.57
27.	राजनगर स्पिनिंग, वीविंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, नं. 1, अहमदाबाद	4.50
28.	राजनगर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि. नं. 2, अहमदाबाद ।	5.82
29.	बड़ौदा स्पिनिंग एण्ड वीविंग कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा ।	4.32
30.	न्यू माणिकचौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद	6.00
31.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद ।	6.40
32.	जहांगीर वकील मिल्स कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद ।	18.00

(1)	(2)	(3)
33.	दि अहमदाबाद जूपिटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मेनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद	2.56
34.	दि माणिकचौक एण्ड अहमदाबाद मैनुफैचरिंग कंपनी लि., अहमदाबाद	18.37
35.	हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा	1.15
36.	बड़ौदा इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ौदा	1.07
		83.49
	केरल	
37.	मैसर्स पार्वती मिल्स लिमिटेड, क्वीलोन	5.25
38.	अलगप्पा टैक्सटाइल्स (कोचीन) लिमिटेड, अलगप्पानगर, त्रिचूर	19.89
39.	केरल लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, त्रिचूर	1.17
40.	कोचीन मालेबल्स लिमिटेड, त्रिचूर	2.40
41.	अर्थला टी एस्टेट, मंजोरी	2.09
42.	रानीमुडी टी एस्टेट, डिवीजन नं० 4, पीरुमेड	2.60
43.	स्टैंडर्ड टाइल एण्ड क्ले वर्क्स, फिरोक	1.95

(1)	(2)	(3)
44.	केरल टाइलरी, फिरोक, कोभिकोडे	1.88
45.	शाणमुगविलास ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज क्वीलोण।	5.77
46.	शाणमुगविलास इंडस्ट्रीज, एजुकोण	1.13
47.	शाणमुगविलास कैश्यू इंडस्ट्रीज, कुन्निकोडे	1.07
48.	शाणमुगविलास इंडस्ट्रीज, नेडुपाइकुलम	1.28
49.	शाणमुगविलास इंडस्ट्रींज, कुन्निकोडे	1.32
50.	शाणमुगविलास कैश्यू इंडस्ट्रीज, आवनूर	1.32
		49.12
	मध्य प्रदेश	
51.	दि इन्दौर मालवा यूनाइटिड मिल्स लिमिटेड, इंदौर	89.28
52.	दि कल्याणमल मिल्स लि., इन्दौर	21.76
53.	दि स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इन्दौर	42.00

(1)	(2)	(3)
54.	दि हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन	39.46
55.	दि भंडारी आयर्न एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, इन्दौर	1.52
56.	दि बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनंदगांव	3.90
57.	दि न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स लिमिटेड, भोपाल	17.63
58.	दि हिम्मत स्टील फाउंडरी (प्राइवेट) लिमिटेड, राजपुर।	1.68
59.	दि विनोद स्टील कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, इन्दौर	1.91
		219.14
	मैसूर	
60.	मैसर्स मैसूर इलैक्ट्रो केमिकल वर्क्स, बंगलौर	3.55
61.	मैसर्स मिनर्वा मिल्स लि., बंगलौर	1.18
		4.73

(1)	(2)	(3)
	महाराष्ट्र	
62.	मैसर्स एडवर्ड टैक्सटाइल्स लिमिटेड, बंबई	14.97
63.	मैसर्स अहमदाबाद जूपिटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मेनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बम्बई	7.03
64.	मैसर्स इंडिया यूनाइटिड ग्रुप ग्राफ मिल्स, बम्बई ।	280.12
65.	मैसर्स सायाजी मिल्स लिमिटेड, बंबई	1.90
66.	मैसर्स लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, लोवर परेल, बम्बई-13	2.83
67.	मैसर्स नेशनल काटन प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, वर्ली, बम्बई-18	1.30
68.	मैसर्स दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कंपनी लिमिटेड, लालबाग, बम्बई-33	17.81
69.	मैसर्स एलडी वायर रोप्स (प्राइवेट) लिमिटेड एन० आई० डी० सी० डोम्बीविली, कल्याण	1.57
70.	मैसर्स ग्रोसमानशाही मिल्स लिमिटेड, नन्देड	19.98

(1)	(2)	(3)
71.	मैसर्स शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, शोलापुर	31.63
72.	मैसर्स जयशंकर मिल्स बर्सी लिमिटेड, बर्सी, शोलापुर	10.02
73.	मैसर्स न्यू प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, धूलिया	11.32
74.	मैसर्स नरसिंहगिरजी मिल्स, शोलापुर	3.80
75.	मैसर्स आर. एस. आर. जी. मोहल्ला स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, अकोला ।	4.43
76.	मैसर्स सावतराम रामप्रसाद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, अकोला	3.44
77.	मैसर्स मोडल मिल्स नागपुर लिमिटड, नागपुर	22.73
78.	मैसर्स ग्रार. बी. बंसीलाल अमीर चंद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, हींगनघाट, बर्धा	3.43
79.	मैसर्स शांतिलाल कुशलदास एण्ड ब्रदर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मरगाव, गोवा	1.24
80.	मैसर्स घोसालिया शिपिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, गोवा	2.74
81.	अपोलो मिल्स लिमिटेड, बम्बई	31.95

(1)	(2)	(3)
82.	मैसर्स शमशेर स्टर्लिंग केबिल कार्पोरेशन, लिमिटेड, बम्बई	2.86
83.	मैसर्स धनराज मिल्स लिमिटेड, बम्बई	6.37
84.	न्यू केसर-ई-हिन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बम्बई	19.56
85.	मैसर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई	2.81
86.	मैसर्स सेक्सेरिया काटन मिल्स लिमिटेड, बम्बई-13	19.48
87.	मैसर्स बसंत इंडस्ट्रियल एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, वर्ली, बम्बई-18	5.29
88.	मैसर्स ब्रेडबरी मिल्स लिमिटेड, बम्बई-11	2.29
89.	मैसर्स गारमेंट क्लियरिंग वर्क्स, वर्ली, बम्बई	3.78
		536.68
	पंजाब और हरियाणा	
90.	मैसर्स पानीपत वुलन मिल्स, खरार	2.02
91.	मैसर्स खरार टैक्सटाइल मिल्स, खरार	2.14
92.	मैसर्स ग्लोब स्टील्स, बल्लभगढ़	1.67

(1)	(2)	(3)
93.	मैसर्स लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स, फरीदाबाद ।	1.41
94.	मैसर्स हिन्दुस्तान एम्ब्रायडरी मिल्स, छर्हाता, छेटानी	1.05
		8.29
	उड़ीसा	
95.	मैसर्स प्रजातंत्र प्रचार समिति ।	2.99
96.	मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रीज, बारंगा	2.48
97.	मैसर्स श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स	1.25
98.	मैसर्स कलिंग इंडस्ट्रीज	1.63
99.	मैसर्स उड़ीसा मैंगनीज एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ।	1.91
		10.26
	राजस्थान	
100.	मैसर्स धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर	1.34
101.	मैसर्स महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर	7.55

1	2	3
102.	मैसर्स बिजय काटन मिल्स, विजय नगर	3.43
103.	मैसर्स मान स्ट्रक्चरल्स, जयपुर	1.13
		13.45

तमिल नाडु

104.	कालीश्वरार मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	10.65
105.	दि सोमसुन्दरम मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	20.05
106.	दि कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, कोयम्बटूर	10.17
107.	कम्बोडिया मिल्स लिमिटेड, ओण्डिपुदूर, कोयम्बटूर-16	2.03
108.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	2.39
109.	श्री रंगबिलास गिनिंग, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	2.02
110.	दि पंकज मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	5.79
111.	श्री शारदा मिल्स लिमिटेड, पोदनूर, कोयम्बटूर	5.28
112.	श्री पलामलय रंगन्नाथन मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	1.49

(1)	(2)	(3)
113.	जनार्दन मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	1.96
114.	टैक्सटूल कम्पनी लिमिटेड, कोयम्बटूर	12.79
115.	कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, त्रिची	10.33
116.	पुदुक्कोट्टा टैक्सटाइल्स लिमिटेड, त्रिची	1.80
117.	दि राजा मिल्स लिमिटेड, मदूरै	1.48
118.	दि कादरी मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड, ओण्डिपुदूर, कोयम्बटूर-16	7.78
119.	करुर मिल्स लिमिटेड, करुर, त्रिची	4.49
120.	बालारामवर्मा टैक्सटाइल्स लिमिटेड, शैनकोट्टा, तिरुनेलवेली	1.89
121.	सदर्न टैक्सटाइल्स लिमिटेड, सुलूर, कोयम्बटूर	1.41
122.	दि भवानी मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर	3.91
123.	राधिका मिल्स लिमिटेड, कोयम्बटूर (मधु स्पिनिंग एण्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से फिर से शुरू किया गया) ।	1.48
124.	स्वामी मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, तंजौर ।	1.21

(1)	(2)	(3)
125.	श्री सार्थीविलास बस सर्विस, पोरायार, तंजौर	4.37
126.	दि मद्रास बंगलौर ट्रांसपोर्ट (ईस्ट) कम्पनी लिमिटेड, मद्रास	1.97
127.	सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, पट्टाबिराम, मद्रास	7.82
128.	सदर्न स्विचगियर लिमिटेड, मद्रास-53	2.28
129.	शक्ति पाइप्स, एलावूर, चिंगलपुट	3.02
130.	श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पॉण्डिचेरी	22.02
131.	स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, पॉण्डिचेरी	5.19
132.	दि कनानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, माही	2.92
133.	स्वदेशमित्रन लिमिटेड, मद्रास-2	1.32
134.	इंडिया मीटर्स लिमिटेड, मद्रास-58	3.05
		164.36

उत्तर प्रदेश

135.	मैसर्स यू. पी. स्टेट शूगर कॉर्पोरेशन, मोहीउद्दीनपुर, मेरठ	4.27

(1)	(2)	(3)
136.	मैटल गुड्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी	2.33
137.	मैसर्स आर. बी. लक्षमणदास शूगर एण्ड जनरल मिल्स, बहराइच	3.64
138.	मैसर्स लॉर्ड कृष्णा टैक्सटाइल्स, सहारनपुर	6.53
139.	मैसर्स विष्णु प्रताप शूगर वर्क्स, देवरिया	1.79
140.	मैसर्स राम चन्द्र एण्ड सन्स शूगर मिल्स, बाराबंकी	3. 7
141.	एसोशिएटड जर्नल्स, लखनऊ	1.13
142.	मैसर्स लॉर्ड कृष्णा शूगर मिल्स, सहारनपुर	1.89
143.	मैसर्स मुरादाबाद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मुरादाबाद	1.17
144.	मैसर्स म्योर मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर	5.82
145.	मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर	53.01
146.	मैसर्स एच. आर. शूगर फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, बरेली	4.94

(1)	(2)	(3)
147.	मैसर्स लक्ष्मी रत्न कॉटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर	32.14
148.	मैसर्स लक्ष्मी रत्न इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कानपुर	3.02
149.	मैसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर	18.63
150.	मैसर्स ऐथरटन वैस्ट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कानपुर	22.86
151.	मैसर्स इंडिया सप्लाइज़ एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कानपुर	1.84
152.	मैसर्स बिजली कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस	13.72
		182.20
	पश्चिम बंगाल	
153.	अलबर्ट डेविड लिमिटेड	17.51
154.	आरती कॉटन मिल्स लिमिटेड	2.20
155.	अग्रिड फैब्रिकेशन्स लिमिटेड, अलीपुर	3.03
156.	ऑल इण्डिया जनरल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2.26
157.	अन्नपूर्णा मैटल वर्क्स	3.76
158.	एटलस वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड	2.48

(1)	(2)	(3)
159.	बर्टराम स्कॉट (इण्डिया) लिमिटेड	3.08
160.	बुंदापानी टी एस्टेट	2.71
161.	बंगेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड	5.99
162.	भारत जूट मिल्स लिमिटेड, दासनगर, हावड़ा	6.97
163.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, बरहामपुर	5.67
164.	बंगोदय काटन मिल्स लिमिटेड, 24 परगना	4.12
165.	दि बंगाल बैल्टिंग वर्क्स लिमिटेड	1.29
166.	बंगाल फाइन स्पिनिग एण्ड वीविंग मिल्स लि. (फैक्टरी नं. 1)	10.17
167.	बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. (फैक्टरी नं 2)	1.01
168.	बैनर्जी चक्रवर्ती एण्ड कंपनी (प्रा.) लि.	2.33
169.	बैलूर ग्लास वर्क्स लि.	2.64
170.	बंगाल मिल्स एजेंसी	1.86
171.	कार्टर पूलर एण्ड कंपनी (प्रा.) लि.	6.48
172.	सैन्ट्रल कॉटन मिल्स लि.	1.92

(1)	(2)	(3)
173.	कलकत्ता ग्लास एण्ड सिलीकेट वर्क्स (1936) (प्राइवेट) लि.	2.95
174.	कार्पोरेटेड इजीनियर्स इंडिया (प्रा.) लि.	1.07
175.	कैन्टन कार्पैन्टरी वर्क्स (प्रा.) लि.	3.59
176.	दीना टी एस्टेट	1.22
177.	ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लि.	8.99
178.	डोमीनियन रबड़ कं. (प्रा.) लि.	2.68
179.	डिम डिमा टी एस्टेट	4.02
180.	जी. टी. आर. कम्पनी (प्रा.) लि.	1.75
181.	डायना टी एस्टेट	4.25
182.	ईगल इंडिया मशीन एण्ड टूल्स लि.	1.55
183.	हिल्ला टी एस्टेट	3.04
184.	हिन्दुस्तान आयर्न एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	9.36
185.	इंडिया साइकिल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	3.40
186.	इंडिया मशीनरी कंपनी लि.	8.92
187.	इंडियन मालेबल कास्टिंग्स लि.	3.07

(1)	(2)	(3)
188.	इंटरनेशनल रबड़ मैनुफैक्चरिंग कं.	4.81
189.	इंडिया रबड़ गुड्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि.	2.45
190.	इंडिया रबड़ मैनुफैक्चरिंग कं लि.	6.12
191.	इंडस्ट्रियल इक्विप्मेंट (प्रा.) लि.	2.25
192.	ज्योति वीविंग फैक्टरी (प्रा.) लि.	1.48
193.	कृष्णा सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड	1.16
194.	केरल वैली टी एस्टेट	1.77
195.	कमला टी एस्टेट	1.98
196.	कीमेर बागशा मैनुफैक्चरिंग कंपनी	1.04
197.	कालचीनी टी स्टेट	1.37
198.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स लि, हुगली	16.93
199.	लिली बिस्कुट कंपनी (प्रा.) लि.	1.80
200.	लुक्सन टी एस्टेट	4.72
201.	मझरदाबड़ टी एस्टेट	7.00
202.	मोटर एण्ड मशीनरी मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड	8.48
203.	मैट्रो ग्लास वर्क्स (प्रा.) लि.	2.07

(1)	(2)	(3)
204.	महिन्द्रा मिल्स लिमिटेड	2.34
205.	मोर्डन इंडिया कंस्ट्रकशन कंपनी लि.	6.70
206.	मार्शल संस एण्ड कंपनी इंडिया लि.	9.01
207.	मुजनै टी एस्टेट	1.61
208.	नेशनल आयर्न एण्ड स्टील कंपनी लि.	10.71
209.	नेशनल आयर्न एण्ड स्टील कंपनी लि. (एच. ओ.)	1.51
210.	ओरियन्टल रिसर्च एण्ड कैमिकल लेबोरेट्रीज, हावड़ा	1.46
211.	ओकायटी टी एस्टेट	2.43
212.	पाशोक टी एस्टेट	3.74
213.	रामपुरिया कॉटन मिल्स लि., हुगली	15.84
214.	रैमन इंजीनियरिंग वर्क्स लि.	2.92
215.	रामझोरा टी एस्टेट	2.39
216.	रैड बैंक टी एस्टेट	3.06
217.	रहीमाबाद टी एस्टेट	2.99
218.	रायमतोंग टी एस्टेट	1.00
219.	श्री कृष्णा रबड़ वर्क्स	1.25
220.	सोदेपुर कॉटन मिल्स लि.	2.88

(1)	(2)	(3)
221.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लि.	12.18
222.	सरुगांव टी एस्टेट	8.49
223.	सेन एण्ड पडित इंडस्ट्रीज लि.	2.38
224.	स्नो व्यू-टी कम्पनी	3.59
225.	श्री गोविन्दा ग्लास वर्क्स	2.53
226.	शालीमार तार प्रोडक्ट्स (1935) लि., कलकत्ता	5.82
227.	श्री इंजीनियरिंग प्राडक्ट्स लि.	4.42
228.	ठाकुरदास सुरेखा आयरन फाउंडरी लि. नं. 1	3.50
229.	ठाकुरदास सुरेखा आयरन फाउंडरी लि. नं. 2	1.07
230.	दि ग्रेट ईस्टर्न होटल लि.	3.18
231.	यूनाइटिड प्रोविण्सिज कर्मशियल कार्पोरेशन (प्रा.) लि.	1.59
		333.00

कुल जोड़ रु० 1,721.25 लाख

परिशिष्ट 'च'

उन गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं के नाम दिखाने वाला विवरण जिनमें 1972-73 के दौरान स्थापना के बंद हो जाने पर सदस्यों को तदर्थ अदायगी की गई।

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	आन्ध्र साइंटिफिक कंपनी	741	तीन बार
2.	अमुदलावालसा कोओपरेटिव एग्रिकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड	1	एक बार
3.	तिरुपति कॉटन मिल्स	12	एक बार
	असम		
4.	मैसर्स सूरमा वैली सॉ मिल्स, पी. ओ. भंगाबाजार, जिला काचार, असम।	59	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
	बिहार		
5.	मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कंपनी (प्रा.) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर।	321	एक बार
6.	मैसर्स टाटानगर फाउंडरी (प्रा.) लिमिटेड, टाटानगर।	123	एक बार
7.	मैसर्स सीतापुर शूगर फैक्टरी लिमिटेड	16	दो बार
8.	मानपुर डिस्टिलिंग, गया।	26	एक बार
9.	मानकथा डिस्टिलिंग, मानकथा, गया।	22	एक बार
10.	रायम शूगर फैक्टरी, रायम, दरभंगा।	195	एक बार
11.	रांची डिस्टिलरी, रांची।	6	एक बार
	केरल		
12.	क्वीलोन कैश्यू प्रोसेसिंग कंपनी (प्रा.) लि., नवायकुलम	36	दो बार
13.	मैसर्स इंडियन नट प्राडक्ट्स	19	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	मैसर्स उमा ट्रेडिंग कंपनी	194	एक बार
15.	मैसर्स ऐशियाटिक एक्सपोर्ट एण्टर-प्राइजिज़	25	एक बार
16.	मैसर्स के. गोपीनाथन नायर एण्ड कंपनी, क्वीलोन	16	एक बार
17.	ट्रावनकोर प्लाइवुड इंडस्ट्रीज, पुनलूर	4	एक बार
18.	एन. सुन्दरेश्वरन्ज़ कैश्यू फैक्टरी	58	एक बार
19.	इंडियन नट प्राडक्ट्स	440	एक बार
20.	अलगप्पा टैक्सटाइल्स	1,327	दो बार
21.	लक्ष्मण एण्ड कंपनी	21	एक बार
22.	उमा कैश्यू कंपनी	226	एक बार
23.	श्री रामविलासम प्रेत एण्ड पब्लिकेशन्स	159	एक बार
24.	त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स	270	एक बार
25.	करुणा कैश्यू कंपनी	106	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	उमा कैश्यू कंपनी	135	एक बार
27.	वेस्टर्न इंडिया प्लाइवुड्स लिमिटेड	60	एक बार
28.	एशियाटिक एक्सपोर्ट एण्टरप्राइजिज़	75	एक बार
29.	एस. आर. के. वी. टाइल वर्क्स थेवलकरा	58	एक बार
30.	लक्ष्मी स्टार्च लिमिटेड, कुंडरा	19	एक बार
31.	पार्वती मिल्स, क्वीलोन	906	एक बार
32.	हिन्दुस्तान कैश्यू प्रॉडक्ट्स	85	एक बार
33.	पद्मा टिन फैक्टरी	8	एक बार
	महाराष्ट्र		
34.	एम. जी. इंडस्ट्रीज	13	एक बार
35.	मैसर्स मैकेंजीज़ प्राईवेट लिमिटेड	482	दो बार
36.	मैसर्स शमशेर स्टर्लिंग केबिल कार्पोरेशन लिमिटेड	454	तीन बार
37.	शक्ति इन्सुलेटेड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	214	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	प्रगना मैटल वर्क्स	46	दो बार
39.	अपोलो मिल्स लिमिटेड	4974	एक बार
40.	मैसर्स एलफिनस्टन डाई वर्क्स प्राइवेट लि.	95	एक बार
41.	मैसर्स इण्डो जर्मन प्लान्टेशन्स मैसूर बंगलौर-22	19	एक बार
42.	मैसर्स ए. एम. सी. ओ. बैट्रीज़, बंगलौर	616	एक बार
43.	मैसर्स नमेडिया टाइल वर्क्स, बंगलौर	51	दो बार
44.	मैसर्स मैसूर इलक्ट्रो केमिकलज़, बंगलौर	254	तीन बार
45.	मैसर्स डो. डो. एण्ड एस. डो. मोटर्स, बैलगाम	5	एक बार
	तमिलनाडु		
46.	मैसीज़, रॉथापुरम, मद्रास-13	61	एक बार
47.	सिम्पसन्स (प्रा.) लिमिटेड, मद्रास	2146	एक बार
48.	कालोश्वरार मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर	34	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	सोमासुन्दरम मिल्स लि., कोयम्बटूर	850	दो बार
50.	कोयम्बटूर कॉटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स प्रा. लि., कोयम्बटूर	38	एक बार
51.	पंकज मिल्स लि., कोयम्बटूर	840	एक बार
52.	शारदा मिल्स लि., कोयम्बटूर	76	एक बार
53.	मैट्टुपालयम कुनूर सर्विसिज (प्रा.) लि., मेट्टूपालयम	12	एक बार
54.	मैसर्स इंडिया पिस्टन्स लि., मद्रास-11	1983	एक बार
55.	दि व्हील एंड रिम एण्ड कंपनी, मद्रास-11	372	एक बार
56.	गीतांजलि मिल्स लि., कोयम्बटूर	27	एक बार
57.	साथीविलास सर्विस, मयूरम	29	एक बार
58.	मेट्टूपालयम कुनुर सर्विस लि., कोयम्बटूर	69	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेसगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
59.	सी. वी. के. ट्रांसपोर्टस (प्राइवेट) लि., कोयम्बटूर	7	एक बार
60.	एडीसन पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स, मद्रास-11	586	एक बार
61.	ई. आई. डी. एम्पलाइज़ स्टोर्स, नेल्लीकुप्पम	682	एक बार
62.	टी. ए. एफ. ई. लिमिटेड, मद्रास–11	327	एक बार
63.	शार्डलो (इंडिया) लिमिटेड	274	एक बार
64.	विनायक स्टील रोलिंग मिल्स, मद्रास	106	एक बार
65.	बाईमैटल बेयरिंग्स प्रा. लि., कोयम्बटूर	150	एक बार
66.	रिचोल्ड केमिकल्स, मद्रास-11	17	एक बार
67.	इंडिया पिस्टन्स (रैपको) लि., मद्रास	38	एक बार
68.	एल. एम. वैन. मैप्स डायमन्ड टूल्स (इंडिया) प्रा. लि., मद्रास-11	18	एक बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सरस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
	उत्तर प्रदेश		
69.	मैसर्स लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर	1870	दो बार
	पश्चिम बंगाल		
70.	ईसावी इंडिया मेच फैक्टरी	40	तीन बार
71.	इलैक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्विपमैंट कंपनी लिमिटेड	80	दो बार
72.	इंडस्ट्री सिंडीकेट	10	एक बार
73.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	370	एक बार
74.	सेन एण्ड पंडित इंडस्ट्रीज्	100	एक बार
75.	शालीमार रोप वर्क्स	35	दो बार
76.	इंडिया बैल्टिग एण्ड कॉटन मिल्स	25	दो बार
77.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स	300	तीन बार
78.	बंगाल फाईन वीविंग मिल्स	80	दो बार

क्रम सं०	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
79.	सेन रैले एण्ड कंपनी	100	दो बार
80.	मैसर्स कान्यायनी स्टोर्स	3	एक बार
81.	आरती कॉटन मिल्स	14	एक बार
82.	रैमंड इंजीनियरिंग वर्क्स	10	दो बार
83.	पॉयनियर प्लास्टिक	5	दो बार
84.	रणजीत इंजीनियरिंग वर्क्स	6	एक बार
85.	बंगेश्वरी कॉटन मिल्स	25	चार बार
86.	ब्रोको एण्ड कंपनी	15	दो बार
87.	लिक्स मशीनरी	16	दो बार
88.	मैसर्स अबेसिव कास्टिंग	10	एक बार
89.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	800	तीन बार
90.	जामैर एण्ड कं	25	एक बार
91.	बंगाल मिल्स एजेंसी	10	एक बार

क्रम संख्या	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जाने वाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
92.	रिपब्लिक इंजीनियरिंग	15	दो बार
93.	हावड़ा फ्लोर मिल्स	20	तीन बार
94.	ब्रिटानिया बिल्डिंग	50	एक बार
95.	भटूरिया इंजीनियरिंग वर्क्स	35	दो बार
96.	ओरिएण्टल रिसर्च केमिकल वर्क्स	70	तीन बार
97.	अपर फैगू टी एस्टेट	3	एक बार
98.	कलकत्ता क्रोमोटाइप	7	दो बार
99.	नेशनल कैबिल वर्क्स	18	एक बार
100.	हावड़ा श्रायल मिल्स	4	एक बार
101.	वेस्टर्न पब्लिशिंग	10	एक बार
102.	कलकत्ता कोलोप्सिबल गेट	15	एक बार
103.	इंडिया स्टीम लांडरी	2	तीन बार
104.	कलकत्ता ग्लास एण्ड सिलीकेट	10	तीन बार

क्रम संख्या	बंद हुई स्थापनाओं का नाम	वापस न की जानेवाली पेशगी पाने वाले सदस्यों की संख्या	जितनी बार पेशगियां देनी पड़ी उनकी संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
105.	जनरल इंडस्ट्रीज़	2	एक बार
106.	नंदी एंड कंपनी	7	एक बार
107.	बासीरहाट कोओपरेटिव टैक्सटाइल	1	तीन बार
108.	एनसिलरी इंडस्ट्रीज़	2	दो बार
109.	सामाबिम्रोंग टी एस्टेट	2	एक बार
110.	बागडोगरा प्लाइवुड	1	एक बार
111.	हिन्द मैंडीसन	1	एक बार
112.	बैरापुकूर आयरन वर्क्स	6	दो बार
113.	केदार रबड़ मैनुफैक्चरिंग कंपनी	10	दो बार

परिशिष्ट 'छ'

केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड कर्मचारी भविष्य
निधि के सदस्यों की 31 मार्च, 1973 तक की सूची

1. श्री पी० एम० नायक, आई० सी०एस०, सचिव, भारत सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग, नई दिल्ली।

2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग, नई दिल्ली ।

3. श्री के०डी० हजेला, उप सचिव, आन्तरिक सलाहकार, श्रम तथा रोजगार विभाग, नई दिल्ली।

4. श्री जे० जी० राजाध्यक्ष, उपसचिव, औद्योगिक विकास विभाग, कमरा नं. 181 बी, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

5. श्री बी०बी० अदावी, उप सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, श्रम तथा पुनर्वास शाखा, कमरा नं. 28 (प्रथम खंड) जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।

6. श्री बी० एस० भटनागर, अवर सचिव, भारत सरकार, इस्पात तथा खान मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

7. श्री ईश्वरी प्रसाद, सचिव, बिहार सरकार, शिक्षा तथा श्रम विभाग, पटना ।

8. श्री एम० पी० पारिख, उप सचिव, गुजरात सरकार, शिक्षा तथा श्रम विभाग, अहमदाबाद ।

9. श्री यू० महाबला राव, सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग, त्रिवेन्द्रम ।

10. श्री एम० एन० देसाई, सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग एवं श्रम विभाग, बम्बई।

11. श्री आई० पी० मल्लप्पा, सचिव, मैसूर सरकार, खाद्य, श्रम तथा पूर्ति विभाग, बंगलौर ।

12. श्री एम० एम० राजेन्द्रन, सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम विभाग, मद्रास ।

13. श्री नरेन्द्र बिहारी लाल, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर ।

14. श्री डी० बन्द्योपाध्याय, सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, कलकत्ता ।

15. श्री एम० एच० के० गज़नवी, उप सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, गृह (श्रम) विभाग, हैदराबाद

16. श्री भूपिन्दर सिंह, सचिव, उड़ीसा सरकार, श्रम, रोजगार एवं आवास विभाग, भुवनेश्वर ।

17. श्री आर० पी० कपूर, विशेष सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल ।

18. श्री बी० आर० टमटा, श्रम-आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, 15 राजपुर रोड, दिल्ली ।

19. श्री सुरोत्तम पी० हथीसिंह, शाही बाग, अहमदाबाद ।

20. श्री एस० एन० बोस, पी/34 ब्लाक 'एच', न्यू अलीपुर, कलकत्ता–53 ।

21. श्री एच०पी० मर्चेन्ट, 'शक्ति विला', भूमि खन्ड, 14 लेबरनाम रोड, गांवदेवी, बम्बई–7 ।

22. श्री एम० वी० अरुणाचलम, कार्बोरण्डम यूनीवर्सल्स लिमिटेड, 12, नार्थ बीच रोड, मद्रास-1 ।

23. डा. मोहनलाल पीरामल, मार्फत पीरामल स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-1

24. श्री एम० घोष, श्रम सलाहकार, बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।

25. श्री एम०वी० नरसिंहन, प्रधान, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, करनाटक राज्य समिति, 27—छठी क्रास स्ट्रीट, चौथी मैन रोड, मल्लेश्वरम, बंगलौर-3।

26. श्री दिवाकर, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मध्य प्रदेश राज्य समिति, 29-बी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर।

27. श्री किशन तुलपुले, महासचिव, मिल मजदूर सभा, 39 पटेल टैरेस, परेल, बम्बई-12।

28. श्री शिशिर कुमार गांगुली, महासचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बंगाल शाखा, 117 बी, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-14।

29. श्री वी०आर० होशिंग, महासचिव, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, परेल, बम्बई-12।

30. श्री आर० एन० शर्मा, उपाध्यक्ष, कोलियरी मजदूर संघ, पोलीटेकनीक रोड, धनबाद (बिहार)।

ग्राफ-1

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952

अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाएँ (क्रमिक)

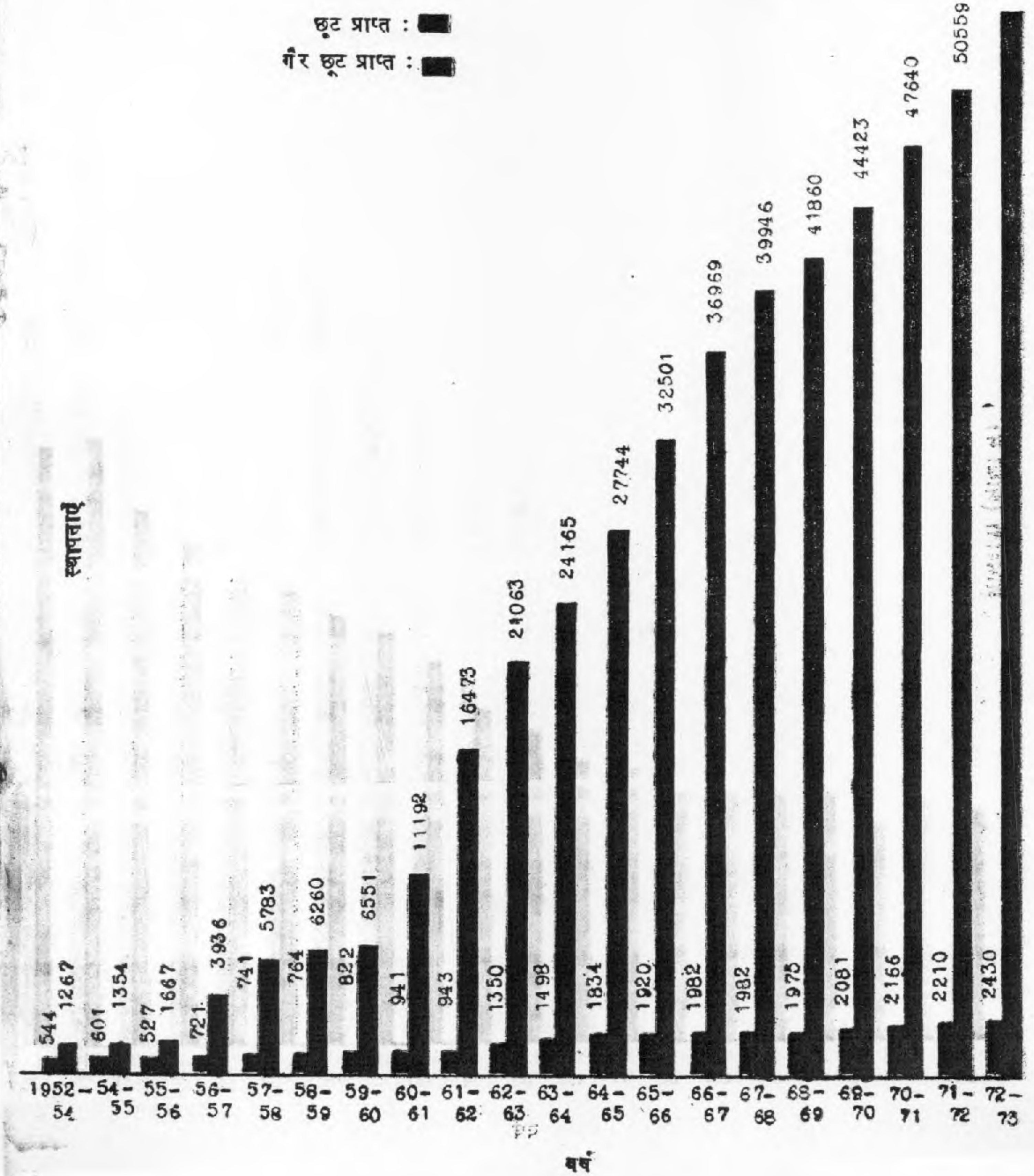

ग्राफ-2

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952

अधिनियम के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या [क्रमिक] (लाखों में)

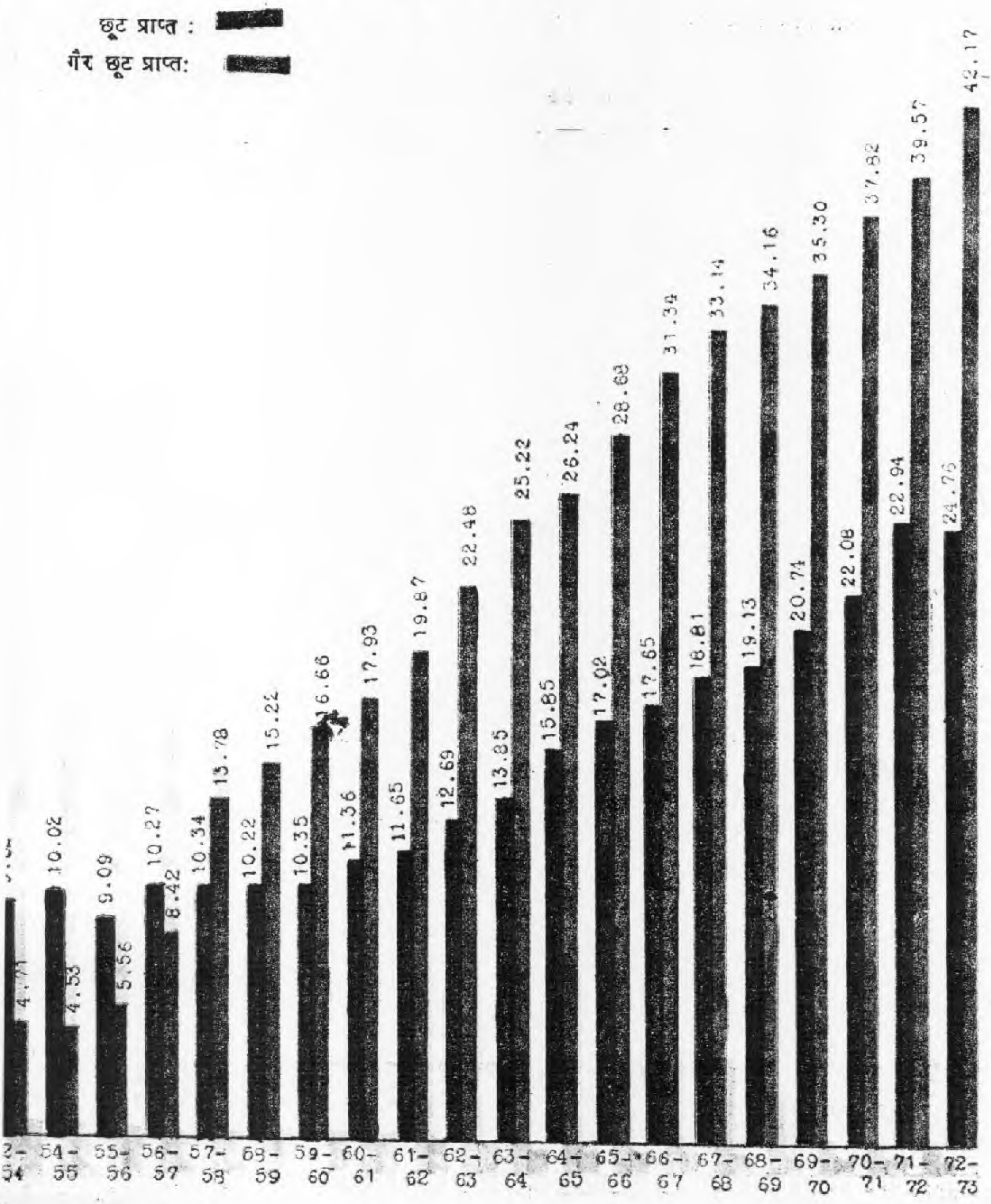

ग्राफ-3

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952

प्राप्त हुए अंशदान की राशि [क्रमिक] (करोड़ रुपयों में)

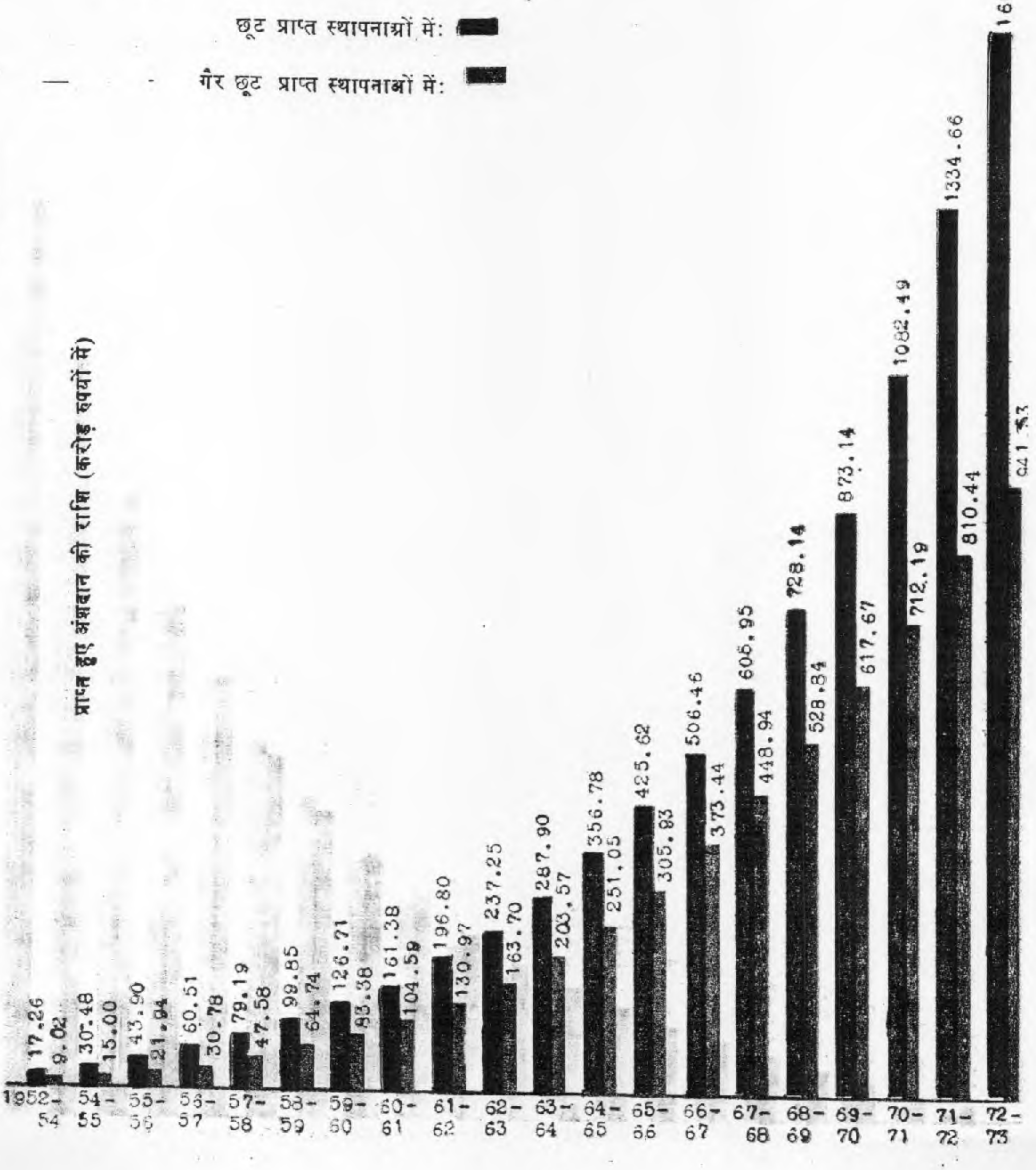

ग्राफ-4

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952

निवेश की गई राशि [क्रमिक] (करोड़ रुपयों में)

छूट प्राप्त स्थापनाएं :

गैर छूट प्राप्त स्थापनाएं :

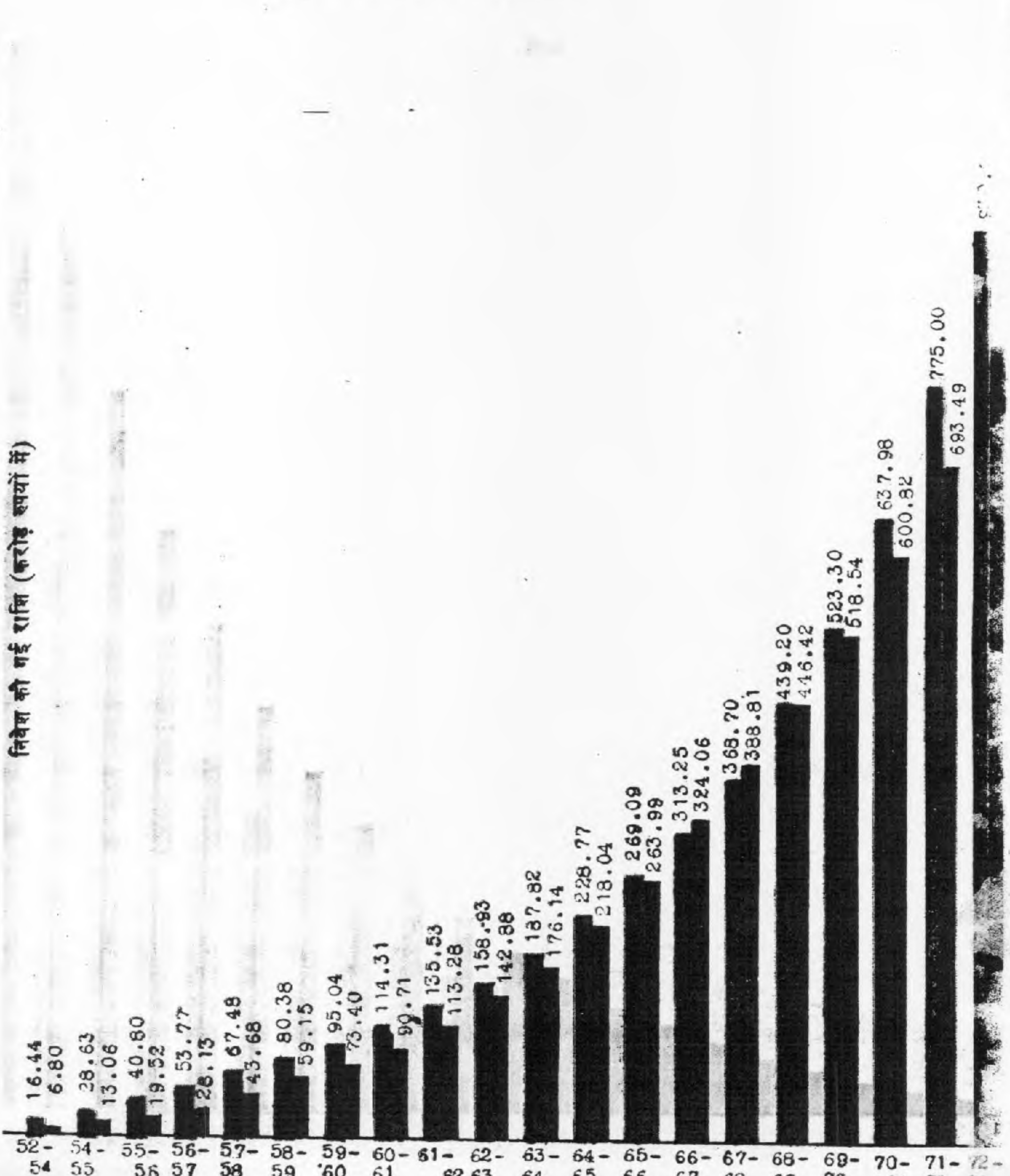

वार्षिक रिपोर्ट—1972-73

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पैरा/क्रम संख्या	लाइन	के लिये	पढ़िये
परिशिष्ट-सूची (2)	परिशिष्ट-छः	1	कार्यकारी	कर्मचारी
17	28	3	निचिश्त	निवेशित
23	38	4	रहनी	रही
34	(छ)	2	कोवि शेष	को विशेष
35	56	2	कुछ सुझाव	कुछ महत्वपूर्ण सुझाव
44	68 (1)	3	के	ने
52	(38)	4	उत्पाद	उत्पादन
64	(125)	3	कोक तिपय	को कतिपय
77	58.	1	स्टट	एस्टेट
82	38 से 40	1	प्रेषण	पेषण
84	65	5	किसी भी	—
87	85.	1	खाद्य	खाद्य-तेल
102	123.	2	मधु स्पिनिंग एण्ड मिलस	मधु स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिलस
108	193.	2	(प्रा.)	—
109	209.	1	1·51	1·15
122	3.	1	आन्तरिक सलाहकार	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
123	11.	1-2	खाद्य, श्रम तथा पूर्त्ति विभाग	खाद्य, पूर्ति तथा श्रम विभाग